crea

क़ानून में ख़ामियाँ

युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार के अपराधीकरण को चुनौती (दक्षिण एशिया)

एक प्राइमर

crea

क्रिया, नई दिल्ली
2024

अनुवाद: सहबा सैय्यद
डिज़ाइन और रूपरेखा: सिक्स वाज़ नाइन
चित्रण/ इलस्ट्रेशन: सिक्स वाज़ नाइन

द्वारा एक साथ लिखा गया: आरूषी महाजन, सुज़ैना टी. फ्राइड, व इशानी कॉर्डिरो (2024)
https://creaworld.org/challenging-crim-knowledge-resources/

क़ानून में ख़ामियाँ:
युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार के
अपराधीकरण को चुनौती (दक्षिण एशिया)

२०२४

crea
creaworld.org

आभार

क्रिया अपने #फ़्लाज़इनलॉज़ के सहयोगियों को पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहती है जिनके साथ मिलकर हमने इन विचारों और विश्लेषण को विकसित किया है। हमारे इन सहयोगियों में, आहंग, पाकिस्तान; ऐरो, एशिया-पैसिफिक; बंधु वेलफ़ेयर सोसाइटी, बांग्लादेश; हिडेन पॉकेट्स, इंडिया; द वाईपी फ़ाउन्डेशन, इंडिया; वाईयूडब्लूए (युवा), नेपाल; और यूथ एडवोकेसी नेटवर्क ऑफ़ श्रीलंका और अकाउन्टेबिलिटी इन्टरनेशनल और आरईएसयूआरजे जो हमारे वैश्विक सहयोगी हैं, शामिल हैं। हम अपने इस बने हुए साथ और सहयोग की यात्रा के इस आने वाले पड़ाव को लेकर बहुत उत्साहित हैं।

हम ऑल्टरनेटिव जस्टिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हानि को देखने के ग़ैर-दण्डात्मक नज़रियों के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाई और अपराधीकरण के विकल्पों के बारे में अपने विचार हमसे साझा किए। हम अपने तीन बाहरी समीक्षकों, श्रीलता बाट्लीवाला, वरिष्ठ सलाहकार, नॉलेज बिल्डिंग, क्रिया; एलिस एम. मिलर, सह निदेशक, ग्लोबल हैल्थ जस्टिस पार्टनर ऑफ़ द येल लॉ एंड पब्लिक हैल्थ स्कूल्स्; और मरीसा विएना, सह संयोजक, विसीनाज़ फ़ेमिनिस्ट के उनकी वैचारिक टिप्पणियों और सहयोग के लिए विशेष रूप से आभारी हैं। साथ ही, हम गीतांजली जोश्वा का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे लिए संपादन का काम किया। इस प्राइमर का हिंदी अनुवाद सहबा सैय्यद ने क्रिया से बबिता सिन्हा और शालिनी सिंह के सहयोग से किया है।

सुज़ैना टी. फ़्राइड

कार्यक्रम निदेशक
जेण्डर आधारित हिंसा के विरुद्ध,
स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और अधिकारों को आगे ले जाने पर कार्य

विषय सूची

३ संक्षिप्त शब्द

४ सारांश

५ ---- प्रक्रिया

६ सज़ा और संरक्षण पर सवाल उठाना:
अपराधिक क़ानूनी प्रणाली में न्याय को फिर से समझना

६ ---- परिचय

१० ---- शब्दों का जाल: मुख्य शब्दावली को समझना

१३ 'अपराधीकरण' को समझना

१८ शारीरिक स्वायत्ता का अपराधीकरण

२० युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार के अपराधीकरण को चुनौती देना

२४ संरक्षणात्मक क़ानून, नीतियाँ और प्रथायें जो युवाओं के
अधिकारों को दबाती हैं

२७ युवा एक अधिकार धारक के रूप में: बाल अधिकार संधि में
'विकसित होने की क्षमता'

२९ जवाबदेही, ना कि सज़ा

३२ ---- पुनर्स्थापनात्मक प्रथायें

३५ ---- बदलावकारी न्याय/ ट्रांसफ़ॉर्मेटिव जस्टिस

३६ ---- विकल्पों को लागू करना: चिंतायें और चुनौतियाँ

३७ सिद्धाँतों से चलन की तरफ़ जाना:
अपराधीकरण को चुनौती देना, कैसे?

३९ अंत में कुछ विचार...

४१ संदर्भ/ एण्डनोट्स

शब्दावली व संक्षिप्त नाम

एआरआरओडब्लू	एशिया पेसिफ़िक रिसोर्स एंड रिसर्च सेन्टर फ़ॉर विमेन
सीसीआई	चाइल्ड केयर इन्सटीट्यूशन
सीसीटीवी	क्लोज़्ड सर्किट टेलिवीज़न
सीडॉ	महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का समापन संधि, 1979
सीईएफ़एमयू	चाइल्ड, अर्ली एंड फ़ोर्सड मैरिज एंड यूनियन्स्
सीआरसी	बाल अधिकार संधि, 1989
सीआरपीडी	विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संधि, 2006
सीएसई	समग्र यौनिकता शिक्षा
सीएसजे	काउन्सिल टू सिक्योर जस्टिस
सीएसओ	नागरिक समाज संस्था
एफ़एवाईए	फ़ेमिनिस्ट अडोलेसेन्ट एंड यूथ लेड एक्शन
एफ़आईआरई	फेमिनिस्ट इन्क्वाइरीज़ इन्टू राइट्स एंड इक्वैलिटी
जीबीवी	जेण्डर आधारित हिंसा
एचआईवी/ऐड्स	ह्यूमन इम्यूनोडिफ़िशियेन्सी वायरस/ अक्वायर्ड इम्यूनोडिफ़िशियेन्सी सिन्ड्रोम
आईसीसीपीआर	नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संधि, 1966
आईसीईएससीआर	आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृति अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संधि, 1966
आईपीपीएफ़	इन्टरनेशनल प्लान्ड पेरेन्टहुड फ़ेडरेशन
एलजीबीटीआईक्यू व्यक्ति	लेस्बियन, गे, बाईसेक्शुअल, ट्रान्सजेण्डर, इन्टरसेक्स और क्वीयर व्यक्ति
एलएसबीई	जीवन कौशल आधारित शिक्षा
एनजीओ	ग़ैर लाभकारी संस्था
पॉक्सो	बच्चों का यौनिक अपराधों से संरक्षण, क़ानून, 2012
आरजे	पुनर्स्थापनात्मक न्याय
एसएएफ़ई	सभी के लिए सुरक्षित गर्भपात
एसओजीआईईएससी	यौनिक रुझान, जेण्डर पहचान, जेण्डर अभिव्यक्ति और लिंग विशेषतायें
एसआरएचआर	यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकार
टीजे	बदलावकारी न्याय/ ट्रांसफॉर्मेटिवे जस्टिस
यूके	युनाइटेड किंगडम
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनएफ़पीए	संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फ़ंड
यूनीसेफ़	युनाइटेड नेशन्स् चिल्ड्रेन्स् फ़ंड
यूएनओडीसी	युनाइटेड नेशन्स् ऑफ़िस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम
यूएसए	युनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका
डब्लूएचओ	वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (विश्व स्वास्थ्य संगठन)
वाईएएनएसएल	यूथ एडवोकेसी नेटवर्क श्रीलंका

संक्षिप्त विवरण

युवाओं के अपने अधिकार होते हैं जिनके अनुसार वे अपने स्वास्थ्य, यौनिकता, प्रजनन और जेण्डर के बारे में अपनी विकसित होती क्षमताओं के आधार पर ख़ुद के निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।[i] संरक्षणात्मक विचारधारा जहाँ यह कहती है कि सुरक्षा, शिक्षा और स्वायत्ता (ख़ुद पर अपना अधिकार) एक दूसरे के पूरक हैं और मिलकर एक दूसरे को मज़बूत बनाते हैं; अक्सर यह ''सुरक्षा'' किए जाने वालों के ख़ुद पर अपने ही अधिकार को नकार देती है।

हमारा मानना है कि ख़ुद पर अपने अधिकार या स्वायत्ता को विकसित करने के लिए संरक्षण ज़रूरी है, पर साथ ही दूसरी तरफ़ यह सुनिश्चित करने के लिए कि संरक्षणवाद अधिकारों को सीमित करने के बजाए उन्हें बढ़ावा दे, स्वायत्ता या अधिकार देना ज़रूरी है।[ii] दूसरे शब्दों में कहें तो युवा जो अधिकारों के हनन और अन्य क़िस्म के हानि का सामना कर सकते हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित करना आवश्यक है (विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब हो सकता है कि वे सामने आ रहे ख़तरों से अनजान हों)।

लेकिन, यह संरक्षण, चाहे वह सरकार द्वारा हो या परिवार द्वारा, कई रूप ले सकता है, जिसमें से कुछ रूप उनके अधिकारों को मान्यता देते हुए मज़बूत करते हैं तो कुछ उनके अधिकारों को सीमित करते या नकारते हैं।

दक्षिण एशिया की सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए यह प्राइमर बात करता है कि **कैसे अधिकारों का संरक्षण 'संरक्षणवाद' में बदल जाता है - दण्डात्मक प्रचलनों पर आधारित एक ऐसी विचारधारा जो मूलभूत रूप से युवाओं के अधिकारों को कमज़ोर बना देती है, विशेष रूप से यदि उनकी यौनिकता, जेण्डर और पहचान के अधिकारों की बात करें तो।** अपराधीकरण के मौजूदा रूपों को चुनौती देने और जेण्डर आधारित हानि पर काम करने के ग़ैर-दण्डात्मक तरीक़ों को ढूंढने के लिए हमने अपनी इस सन्दर्भ पुस्तिका में अनेक नारीवादी समूहों, बाल अधिकार समूहों, वैकल्पिक न्याय पर काम करने वाले नारीवादी समीक्षकों और क़ानूनी विचारकों के काम को लेते हुए अपनी बातों को रखा है।[iii]

यह प्राइमर अपराधीकरण और दक्षिण एशिया में युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार के अपराधीकरण के प्रभाव को एक नारीवादी नज़रिए से समझने के लिए बुनियादी अवधारणाओं और दावों को सामने रखता है। इस विषय को अपने देशों के उदाहरणके साथ गहराई से समझने के लिए हमारा सुझाव है कि आप क़ानून में ख़ामियाँ: युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार के अपराधीकरण को चुनौती पर हमारी सन्दर्भ पुस्तिका देखें।

प्रक्रिया

यह प्राइमर और इसके साथ की सन्दर्भ पुस्तिका 2019 में क्रिया और हमारे सात साथियों द्वारा चलाए गए फ़्लॉज़ इन लॉज़ अभियान से प्रेरित है।[iv] इस प्रकाशन को हमने दक्षिण एशिया के पाँच देशों की क़ानूनी नीतियों, क़ानूनी आदेशों और समाचार पत्र/पत्रिकाओं के लेखों और साथ ही संबन्धित विषयों पर अकादमिक और नारीवादी दस्तावेज़ों के गहन अध्ययन और समीक्षा के बाद तैयार किया है।

हमने 2019 के सोशल मीडिया अभियान और उसके बाद के ऑनलाइन लर्निंग सत्रों के दौरान अपने फ़्लॉज़ इन लॉज़ साथियों के साथ हुई चर्चा को और भी विस्तृत किया है। हमने चार देशों (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल) के अपने फ़्लॉज़ इन लॉज़ साथियों के सुझावों को और तीन साथी समीक्षकों द्वारा गहन रूप से दिए गए फ़ीडबैक को भी शामिल किया है।

हॉलाकि यह विवरण इस विषय का एक व्यापक अवलोकन नहीं है, हमें आशा है कि यह प्राइमर और इसके साथ की अभियान सन्दर्भ पुस्तिका, एक्टिविस्टों, नागरिक समाज और नारीवादी, महिला अधिकार और बाल अधिकार आन्दोलनों में शामिल लोगों को ना केवल औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्थाओं से, बल्कि अपने आन्दोलनों और संगठनों के अन्दर भी सवाल उठाते हुए समीक्षात्मक रूप से जुड़ने में मदद देगी। और फिर इस तरह के समीक्षात्मक जुड़ाव से हम दण्डात्मक प्रचलनों पर सवाल उठाकर उन्हें चर्चा से बाहर रखने की, न्याय की वैकल्पिक सोच को केन्द्र में लाने की और अधिकारों को मान्यता देने, उनके संरक्षण और कल्याण को आगे बढ़ाने वाले नज़रियों पर ध्यान केन्द्रित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने की आशा करते हैं।

सज़ा और संरक्षणवाद पर सवाल उठानाः अपराधिक क़ानूनी प्रणाली में न्याय को फिर से समझना

''हमारे शरीर पर हमारी स्वायत्ता के अधिकार का मतलब है कि हम बिना किसी हिंसा या किसी और के द्वारा अपने लिए निर्णय लिए जाने के डर से, ख़ुद अपने लिए चुनाव कर पाने के लिए सशक्त और सक्षम हैं। इसका मतलब है कि यह निर्णय ले पाना कि हम कब और किसके साथ यौन संबन्ध बनाना चाहेंगें या नहीं चाहेंगें। इसका मतलब है कि हम ख़ुद अपने लिए यह निर्णय लें कि हम कब गर्भधारण करना चाहेंगें या नहीं चाहेंगें। इसका मतलब है कि हमे जब भी ज़रूरत हो हम डॉक्टर के पास जाने के लिए सक्षम और स्वतंत्र हों....। जहाँ भी जेण्डर भेदभावकारी सामाजिक क़ायदे होते हैं, (युवाओ के) शरीर पर ऐसे चुनाव किए जाने की सम्भावना होती हैं जो उनके द्वारा ना हो कर दूसरों के द्वारा किए गए हों - उनके साथी/पार्टनर के द्वारा या यह भी हो सकता है कि क़ानून बनाने वालों ने यह निर्णय लिए हों। जब नियंत्रण किसी और के पास हो, अपने ऊपर अपना अधिकार होना या अपनी स्वायत्ता हमेशा पहुँच से बाहर बनी रहती है।'' [v]

(युनाइटेड नेशन्स् पॉपुलेशन फ़ंड, माई बॉडी इज़ माई ओन: क्लेमिंग द राइट्स टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ़-डिटरमिनेशन, स्टेट ऑफ़ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021)

परिचय

पिछले कई सालों में शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार की पहचान और समझ काफ़ी बढ़ी है। इसी तरह से अधिकारों को पूरक बनाने के लिए क़ानूनी और नीतिगत प्रयास भी बढ़े हैं। नतीजे के तौर पर, सरकार के साथ जुड़ाव बनाने से, विशेषरूप से महिला अधिकारों, बाल अधिकारों और नारीवादी आन्दोलनों ने सरकार को शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार के पहलूओं जिसमें यौनिकता और जेण्डर अभिव्यक्ति शामिल है, पर क़ानून बनाने के लिए दबाव बनाया है। ऐतिहासिक रूप से दक्षिण एशिया में नारीवादी आन्दोलनों ने क़ानून की भाषा को चुनौती देने और आकार देने में और अधिकारों को क़ानून के भीतर मान्यता दिलाने और उनको संबोधित करने के दायरे को बढ़ाया है। इस क्षेत्र में अपराधिक क़ानूनी प्रणाली जेण्डर आधारित हिंसा पर काम करने के तरीक़े में बड़ा बदलाव, नारीवादी आन्दोलनों की मांगों, जुड़ावों और मोबिलाइज़ेशन के नतीजे में ही आया है। [iv] दक्षिण एशिया के नारीवादी आन्दोलन जेण्डर आधारित अधिकारों के हननों की तरफ़ व्यापक रूप से ध्यान दिलाने के लिए सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। इसमें परिवार व्यवस्था के अन्दर होने वाले भेदभाव को चुनौती देना, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न को समाप्त करना, यौनिक हिंसा, बढ़ते हुए मुक़दमे, बढ़ी हुई सज़ायें, को व्यापक

रूप से समझना, और पुलिस, वकीलों और जजों के साथ धार्मिक, समुदायिक, राजनीतिक, और अन्य सामाजिक कारकों और संस्थाओं के लैंगिक रूढ़िवाद पर निर्भरता की आलोचना करना शामिल है। वे परिवार और समुदाय स्तर पर इस फैले हुए व्यापक भेदभाव और जेण्डर आधारित हानि को सरकारी और ग़ैर-सरकारी कारकों और व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा क़ाननूी रूप से मान्यता देने की बात करते हैं।

इस प्रक्रिया में, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानक और अधिकांश राष्ट्रीय संवैधानिक क़ानून की ज़रूरतों के अनुसार हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध इन अधिकारों को मान्यता देने और पूरा करने के लिए क़दम बढ़ाए हैं। फिर भी सरकार के यह क़दम अक्सर एक तरह से 'संरक्षण' के रूप में सामने आते हैं। मौजूदा जेण्डर, वर्ग, जाति, विकलांगता, उम्र, धर्म, नस्ल और रूढ़िवाद, के कारण, हिंसा को समाप्त करने के सरकार के प्रयास अक्सर एक संरक्षणात्मक और दण्डात्मक स्थिति के उलट जाते हैं। इस वास्तविकता के कारण अक्सर ही अधिकारों के हनन का ख़तरा बन जाता है और जेण्डर भेदभाव और अन्य रूढ़िवादों को बढ़ावा मिल जाता है।

दक्षिण एशिया के संदर्भ में, युवा अभी भी पुराने और नए क़ानूनों के अधीन हैं जो एक 'संरक्षणात्मक' उपचार की तरह काम करते हैं, जैसे कि वे अपने शरीरों के बारे में अपने लिए निर्णय लेने में, अपने अधिकारों का प्रयोग करने में अक्षम/असमर्थ हों, और जैसे कि उनके कोई अधिकार ना हों।[vii] अक्सर ही, युवाओं को उनकी यौनिक संवेदनशीलता के आधार पर परिभाषित करते हुए देखा जाता है, जिन्हें या तो नियंत्रण, संरक्षण या निगरानी की आवश्यकता है, और यह सभी आसानी से दण्डात्मक क़ानूनों, नीतियों और प्रचलनों में बदल जाते हैं।

इन सभी सामाजिक नियंत्रण की प्रथाओं के पीछे शर्म और बदनामी के विचार व्यापक हैं। उदाहरण के लिए: यौनिकता के सांस्कृतिक और सामाजिक नियम और प्रतिबंध एक ऐसी व्यक्ति जिसे माहवारी हो रही हो, उसे गंदा, अशुद्ध, प्रदूषण के प्रति संवेदनशील और जिसे दूसरों से अलग रखा जाना चाहिए, के रूप में प्रस्तुत करती है।[viii] शर्म, बदनामी, पवित्रता, इज़्ज़त और सज़ा के बीच के

यह व्यापक सांस्कृतिक जुड़ाव युवाओं के अपनी यौनिकता के बारे में सोचने और महसूस करने को प्रभावित करते हैं। संरक्षणवादी क़ानून, नीतियाँ, प्रथायें और नज़रिए, युवाओं को अपनी जेण्डर अभिव्यक्ति और यौनिकता के बारे में जानने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम माहौल देने से मना करने के लिए लागू किए जाते हैं। इसके बजाए उन्हें सामाजिक और पारिवारिक क़ायदों/नियमों के विरुद्ध जाने के लिए एक निगरानी, पुलिसिंग, बदनामी, डर और वास्तविक हिंसा के माहौल में रखा जाता है।

2019 में क्रिया ने आहंग (पाकिस्तान), एआरआरओडब्लू (मलेशिया), बंधु (बांग्लादेश), हिडेन पॉकेट्स कलेक्टिव (भारत), यूथ एडवोकेसी नेटवर्क (श्रीलंका), द वाईपी फ़ाउन्डेशन (भारत) और वाईयूडब्लूए (नेपाल), के साथ मिलकर काम करते हुए अपराधीकरण के अवधारणाओं और प्रथाओं के बारे में समझने की कोशिश की है। इससे हमें युवाओं की यौनिकता और उनके मानवाधिकारों तक पहुँच के अपराधीकरण के प्रभाव को बेहतर रूप से समझने में मदद मिली है। अभियान का नाम था, #फ़्लॉज़इनलॉज़: रिथिंक माई फ्रीडम्स, रिइमेजिन माई राइट्स, रियालाइज़ माई फ़्यूचर जिस ने युवाओं की यौनिकता पर संरक्षणवादी नज़रियों, क़ानूनों और नीतियों के नकारात्मक प्रभाव के तरफ़ ध्यान खींचा। और इस समझ को बेहतर तरीक़े से शामिल करने के लिए इसने चल रहे कार्यक्रमों में बदलाव को भी देखा।

अभियान की अधिक जानकारी के लिए यहाँ देखें

''यौनिक व्यवहार और प्रजनन आचरण अपने आप में युवाओं के लिए हानिकारक समझे जाते हैं, इस तरह से यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी के अधिकार ''हानि को कम करने वाले अधिकार'' हैं - ना कि सक्षम बनाने वाले अधिकार। आधुनिक अधिकार व्यवस्था एक तरफ़ लड़कियों और युवा महिलाओं (और, कुछ हद तक, लड़कों और युवा पुरुषों) को उनकी यौनिकता और प्रजनन जीवन के प्रति सशक्त करना चाहती है तो वहीं दूसरी तरफ़ उन्हें यौनिक व्यवहार और प्रजनन के प्रति जागरुक होने या संपर्क में आने से रोकना चाहती है।'' [ix]

(एलिस एम. मिलर के साथ तारा ज़िव्कोविक, सिस्मिक शिफ़्ट्स: हाउ प्रॉसिक्यूशन बिकेम द गो- टू टूल टू विन्डीकेट राइट्स, बियौन्ड वर्च्यु एंड वाइस: रिथिंकिंग ह्यूम राइट्स एंड क्रिमिनल लॉ)

अभियान के बाद, हमें अनेक व्यक्तिगत और संस्थागत फ़ीडबैक मिले जो युवाओं के अधिकार और अपराधीकरण को चुनौती देना, दोनों पर ही काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मौजूदा तरीक़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता पर प्रतिबंध लगाते हैं और संरक्षणात्मक नज़रिए उन्हें मानकों के विपरीत किसी भी यौनिक गतिविधि करने, जानने या फिर कुछ मामलों में तो इन मुद्दों पर खुल कर चर्चा करने के लिए भी उन्हें दण्डित करते हैं। फ़ीडबैक के आधार पर, हमने अभियान की बुनियादी अवधारणा और सिद्धाँत को और गहराई से देखने का निर्णय किया। दक्षिण एशिया से हमारी साथी संस्थाओं ने भी इस टूल में अपनी रुचि दिखाई जो सभी रूपों में शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार

के अपराधीकरण के प्रभावों पर अधिक ध्यान देते हुए युवाओं के सशक्तिकरण के बीच के जुड़ाव बनाने की उनकी क्षमता को बढ़ा सकता था।

प्राइमर और सन्दर्भ पुस्तिका उसी अभियान से निकली सीखों, चर्चाओं और क्रिया और साथी संस्थाओं आहंग (पाकिस्तान), एआरआरओडब्लू (मलेशिया), बंधु (बांग्लादेश), हिडेन पॉकेट्स कलेक्टिव (भारत), यूथ एडवोकेसी नेटवर्क (श्रीलंका), द वाईपी फ़ाउन्डेशन (भारत) और वाईयूडब्लूए (नेपाल) के साथ हुए परामर्शो का ही परिणाम है।

''क़ानून में ख़ामियाँ: युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार के अपराधीकरण को चुनौती'' (यहाँ उपलब्ध है) पर सन्दर्भ पुस्तिका में, हमने इन चर्चाओं के दायरे को विस्तार से बताया। हमने अपराधीकरण के तरीकों और व्यवहारों का विश्लेषण किया हैं, विशेषरूप से जब वे युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार से जुड़े हैं। दक्षिण एशिया की सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं में स्थित, यह सन्दर्भ पुस्तिका ध्यान देती है कि कैसे अधिकारों की सुरक्षा ''संरक्षणवाद'' में बदल जाती है - इस विचारधारा के अनुसार बनी दण्डात्मक प्रथायें अंत में युवाओं के अधिकारों को नकारती हैं, विशेषकर उनकी यौनिकता, जेण्डर और पहचान के अधिकार को। सन्दर्भ पुस्तिका में, हमने अपराधीकरण के मौजूदा प्रारूपों को चुनौती देने के लिए और जेण्डर आधारित हानि को कम करने के ग़ैर-दण्डात्मक तरीक़ों को ढूंढने के लिए अनेक नारीवादी समूहों, बाल अधिकार समूहों, वैकल्पिक न्याय व्यवस्था पर काम करने वाले और नारीवादी समीक्षक और क़ानूनी विद्धानों के काम को आधार बनाया है। [x]

क़ानून में कमियों पर यह प्राइमर अपराधीकरण और दक्षिण एशिया में युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार के अपराधीकरण के प्रभाव को एक नारीवादी नज़रिए से समझने के लिए बुनियादी अवधारणायें और दावों को सामने रखता है। इस विषय को अलग-अलग देशों के अपने उदाहरणों के साथ गहराई से समझने के लिए हमारा सुझाव है कि आप क़ानून में कमियाँ: युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार के अपराधीकरण को चुनौती पर हमारी सन्दर्भ पुस्तिका देखें।

इस प्राइमर और इसके साथ की सन्दर्भ पुस्तिका के माध्यम से, हम एक्टिविस्ट, नागरिक समाज, और नारीवादी महिला समूह, और बाल अधिकार समूह आन्दोलन से जुड़े लोगों को अपने साथ आमंत्रित करना चाहते हैं जिससे हम साथ मिलकर युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता पर अपराधिक क़ानूनी व्यवस्था के प्रभाव पर आलोचनात्मक रूप से प्रभाव डाल सकें। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य युवाओं के अधिकारों को मज़बूत करने वाली ग़ैर-दण्डात्मक प्रथाओं की परिकल्पना करना हैं जो युवाओं के अधिकारों को पहचानते हुए उनकी सुरक्षा करे, उनके लिए कल्याणकारी हो और साथ ही जो न्याय को भी फिर से परिभाषित करें। हम यह नहीं कह रहे कि यह प्राइमर अपने आप में पूर्ण है, और इसीलिए आपके फ़ीडबैक, सवालों और तर्क-वितर्कों का हमें इंतज़ार रहेगा जो हमारे बढ़ते हुए काम को और भी मज़बूत कर सकें।

शब्दों का जालः मुख्य शब्दों के बारे में विस्तार से

युवाः हमने *'किशोर'* शब्द की जगह *'युवा'* शब्द का इस्तेमाल दो कारणों से किया है - पहला, हम समझते हैं कि युवा में ''किशोर'' से अधिक व्यापकता है और मानते हैं कि युवा कोई एक समान समूह नहीं है। दूसरे, हमारी कुछ साथी संस्थायें राजनीतिक और क़ानूनी रूप से संवेदनशील संदर्भों में काम करती हैं जहाँ किशोरों (जो 18 साल के नीचे हैं) के एसआरएचआर की पैरवी करने को अपराध माना जाता है। ''युवा'' की कोई एक परिभाषा नहीं है: एक श्रेणी के तौर पर इसे कई दृष्टिकोणों से अलग-अलग रूप से परिभाषित किया जाता है जिसमें क़ानूनी अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, हिंसा से सुरक्षा, श्रम में उत्पीड़न से सुरक्षा, और अपराधिक ज़िम्मेदारी या अभियोज्यता शामिल हैं। इसलिए इस संदर्भ में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम युवाओं को व्यापक रूप से लें जिसमें सभी शामिल हों पर वह केवल 18 की उम्र के नीचे के व्यक्तियों तक सीमित ना हो। इससे हमे युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार के अपराधीकरण, विशेषरूप से उनकी यौनिकता, जेण्डर अभिव्यक्ति और जेण्डर पहचान से जुड़े मुद्दों पर अपनी चिंताओं को सामने लाने में मदद मिलती है जो अक्सर ही इन दण्डात्मक क़ानूनों, नीतियों और प्रथाओं के शिकार बनते हैं।

अपराधिक क़ानून प्रणालीः हमने *'अपराधिक न्याय प्रणाली'* के स्थान पर *'अपराधिक क़ानूनी प्रणाली'* का प्रयोग किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि अपराधिक क़ानून, अपराध संहिता, उनके काम करने की व्यवस्था और उसे लागू करने वाली संस्थाओं *का ढाँचा, स्थिरता, संस्कृति और व्यवहार,* न्याय की व्यापक, संपूर्ण और इन्टरसेक्शनल समझ के साथ नहीं बनाया गया है। न्याय को - जेण्डर, नस्लीय, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, उत्पादक या विकलांगता के पहलू, अन्य के साथ - ना तो क़ानून के अन्दर परिभाषित किया गया है और ना ही उसे शामिल किया गया है। यह विशेषकर के अपराधिक क़ानून की वास्तविकता है जो अपने आप में अक्सर जेण्डर, वर्ग, जाति, धर्म और नस्ल पर आधारित हानियों को अनुचित मुक़दमों, बड़ी सज़ाओं या पुलिसिंग के अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार द्वारा और अदालतों और जेलों द्वारा बनाए रखता है। जहाँ अधिकारों को मान्यता दिलाने में क़ानून व्यवस्था अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, 'न्याय' को लेकर हमारा विचार सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव है। 'न्याय' हो सकता है कि परंपरागत क़ायदों को वास्तव में चुनौती दे या मौलिक रूप से उनसे दूरी बना ले - उदाहरण के लिए, भारत में जातिगत भेदभाव का अपराधीकरण किया जाना, इस तरह के भेदभाव की रची-बसी संस्कृति से सामाजिक न्याय की ओर एक क्रांतिकारी प्रगति थी। इस तरह के क़दम अलग-अलग आकार ले सकते हैं जो गहराई में समुदायों के संदर्भ में स्थित हैं।

संरक्षणवादः क़ानून में ख़ामियाँ प्राइमर और सन्दर्भ पुस्तिका में हर जगह हमने *'संरक्षणवादी'* नज़रिए को उस नज़रिए से अलग रखा है जो *'अधिकारों की सुरक्षा'* की बात करता हैं। अधिकार आधारित नज़रियों को उन मान्यताओं से समर्थन मिलता है जो कहती है कि भेदभाव और हानि जिसका सामना संरचनात्मक रूप से अलग किए गए लोगों द्वारा किया जाता है, व्यापक होते हैं, और कई मामलों में व्यवस्थित भी। इसलिए, संरचनात्मक रूप से अलग किए गए लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के किसी भी प्रयास में असमान सत्ता के रिश्तों और अनुक्रमों पर काम और बदलाव लाना शामिल होना चाहिए। यह दूसरा नज़रिया व्यक्तियों और समूहों के अपने अधिकारों के प्रयोग तक पहुँच को संरक्षित करता है, उनको एक अधिकार धारक के रूप में पहचानता है और उनके ख़ुद पर अपने अधिकारों को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। दूसरी तरफ़, हम जिसको संरक्षणवादी नज़रिया कहते हैं, वह अक्सर मौजूदा जेण्डर और अन्य इन्टरसेक्शनल सत्ता की विषमताओं को बनाए रखने और उन्हें मज़बूत करने का काम करता हैं। यह क्षमता और योग्यता की पितृसत्तात्मक मान्यता पर आधारित होती हैं, विशेषरूप से जब बात होता है उनकी सुरक्षा की जिन्हें 'कमज़ोर' या 'संवेदनशील' कहा जाता है (इसमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं) जैसे कि यह विशेषतायें उन व्यक्तियों के अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं और उन्हें इनसे अलग करके तो देखा ही नहीं जा सकता है। यह नज़रिया अक्सर सूचना, गतिशीलता, बातचीत, जुड़ाव, दोस्त या यौनिक साथी का चुनाव तक पहुँच के मामलों में भी दख़ल देकर उनकी पहुँच को उनकी 'सुरक्षा' के नाम पर सीमित कर देता है।

'आपस में जुड़ी सत्ता संरचनायें जो असमान स्वास्थ्य नतीजों को सामने लाती हैं और उन्हें बनाए रखती हैं, समय के साथ असमानता को मज़बूत करती हैं,[xi] संरक्षणवादी नज़रिए उन्हें बदलने के बजाए, अक्सर गहराई में मौजूद भेदभावकारी सामाजिक और सांस्कृतिक क़ायदों/नियमों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, शादी के पहले यौन संबंध बनाने से जुड़ा प्रतिबंध महिलाओं की यौनिकता और जातिगत शुद्धता की रक्षा की प्रधानता और उनके अनेक व्यक्तियों से यौन संबन्ध होने के शक से बचने के लिए बनाया गया। इस तरह से देखा जाये तो इन संरक्षणवादी नज़रियों को सत्ता के मौजूदा अनुक्रमों और सत्ताधारी व्यक्तियों के हाथों में सत्ता और विशेषाधिकार को और मज़बूत करने के लिए बनाया गया है ना कि उनका विरोध करने के लिए। लेकिन हम अपनी इस समझ को केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिखाई देने वाले परिणामों पर केंद्रित न करते हुए बल्कि उससे आगे ले जाते हुए शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार, यौनिकता और जेण्डर अभिव्यक्ति व पहचान को और व्यापक रूप में देखने की बात करते हैं। हमारा तर्क है कि 'संरक्षणवादी' विचारधारा अक्सर अत्यधिक निगरानी पर ज़्यादा और सुरक्षा की ओर कम ले जाती है।

जेण्डर आधारित हानिः हमने *'जेण्डर आधारित हिंसा'* से *'जेण्डर आधारित हानि'* को अलग देखने की कोशिश की है। जेण्डर आधारित हिंसा में जेण्डर आधारित हानि शामिल तो है, लेकिन सभी हानियाँ जेण्डर आधारित हिंसा के तहत नहीं आती हैं। जेण्डर आधारित हानि में जेण्डर आधारित भेदभाव, जेण्डर रूढ़िबद्धता/ स्टीरियोटाइपिंग, जेण्डर के आधार पर किसी की निजता, सम्मान, समानता, शरीर पर अपने नियंत्रण और उस पर अपना ख़ुद का अधिकार जैसे अधिकारों का हनन शामिल हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हिंसा का पहलू शामिल हो। जेण्डर आधारित हानि में जेण्डर आधारित हिंसा के कारण और प्रभाव भी शामिल हो सकते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के रास्ते में आने वाले जेण्डरीकृत अवरोध और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर पड़ने वाले इसके विपरीत प्रभाव। जहाँ जेण्डर आधारित हिंसा को दण्डित करने के लिए अपराधिक क़ानूनी व्यवस्था का प्रयोग करने की अन्तर्राष्ट्रीय सहमति है, जेण्डर आधारित हानि एक व्यापक श्रेणी है जिसे ना तो स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और ना ही समझा गया है। इसे अक्सर प्रशासनिक नीतियों, नागरिक क़ानूनों, शिक्षा, सहयोगी सेवाओं आदि के माध्यम से ही देखा जाता है।

जहाँ हम मानते हैं कि हानि और हिंसा के बीच का यह अंतर अक्सर अस्पष्ट है और वे एक ही दायरे में मौजूद हैं, वहीं यह भी सोचना ज़रूरी है कि क्यों हम कुछ विशेष कृत्यों को इस तरह से नामित करना चाहते हैं और कैसे हम ढाँचागत स्तर पर उन्हें संबोधित करना चाहते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए, हम बताना चाहेगें कि हम यहाँ हानि और हिंसा का कोई अनुक्रम नहीं बना रहे कि क्या बड़ा है और क्या छोटा, और ना ही हम जेण्डर आधारित हानियों के प्रति प्रतिक्रियाओं को हतोत्साहित कर रहे हैं।

'अपराधीकरण' को समझना

इस भाग में हम आपराधिक क़ानून की संरचना पर चर्चा करते हुए और उदाहरणों की सहायता से अपराधीकरण से हमारा क्या मतलब है, इसे साझा करेंगें। हम कई तरीक़ो से देखेंगें हैं कि कैसे अपराधीकरण सत्ता की विषमता, भेदभाव, और असमानता के लिए काम करता है। हम इसके लिए दक्षिण एशिया के क़ानूनों, नीतियों और प्रथाओं के व्याख्यात्मक उदाहरण का प्रयोग करेंगें। नागरिक और अपराधिक दोनों ही क़ानून कैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन की तरफ़ ले जाते हैं, इसका पता लगाते हुए हम पूछते हैं, *"अपराधिक क़ानूनी प्रणाली से जुड़ने का क्या मतलब जब यह प्रणाली अधिकारों को मान्यता देने वाली और उल्लंघन करने वाली, दोनों ही तरह की होती है?"* [xii]

क़ानून के फ्रेमवर्क में तीन ज़रूरी तत्व होते हैं - उसका **सार,** उसकी **संरचना** और **संस्कृति**।[xiii] **सार,** लिखित क़ानून है, जिसे अधिनियम, संहिता, नियम और क़ायदे मिलकर बनाते हैं। क़ानून की संरचना में वे व्यक्ति या निकाय शामिल हैं जो उसके सार को लिखने, बनाने और लागू करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, वकील, जज, पुलिस, सरकारी वकील, विधान सभा आदि। आख़िर में संस्कृति जिसमें शामिल है सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकतायें जिसके भीतर सार और संरचना मौजूद होते हैं। यह तीनों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।[xiv] इनमें हम इसके **संपादन या क्रियान्वहन** को भी जोड़ कर देखते हैं। **संपादन** से मतलब है कि कैसे क़ानून, उन लोगों द्वारा जिन्हें इसे लागू करने की क़ानूनी ज़िम्मेदारी दी

गई है और ग़ैर-सरकारी कारक और संस्थायें जिनमें अन्य के साथ परिवार, समुदाय, स्कूल और चिकित्सीय संस्थान भी आते हैं, ज़मीनी स्तर पर लागू किए जा रहे हैं। क़ानून की **संरचना** और **संस्कृति** निर्धारित करते हैं कि क़ानून को उसके उद्देश्य और **सार** के तहत **लागू** किया जा रहा है कि नहीं।

उदाहरण के लिए, युवाओं को अपनी यौनिकता के बारे में जानने के लिए सज़ा देना एक ऐसे सांस्कृतिक क़ायदे से निकला है जो कहता है कि शादी संस्था के बाहर युवाओं की विशेषरूप से युवा महिलाओं और लड़कियों की यौनिक अभिव्यक्ति, ग़लत या बुरी है। यह दृष्टिकोण क़ानून बनाने वालों और उसे लागू करने वालों (जो उसी समाज से निकले हैं और इसमें पुलिस से लेकर परिवार के सदस्य तक शामिल हो सकते हैं) की मानसिकता और नज़रिए को प्रभावित करता है। यह क़ायदे इस तरह से लिखित क़ानून में बदल कर अधिकारिक रूप ले लेते हैं और फिर इन्हीं को लागू किया जाने लगता है।

ऐम्नेस्टी इन्टरनेशनल ने अनुमानित अपराधिता को परिभाषित करते हुए कहा ''किसी व्यक्ति को ''अपराधी'' मान लेने की प्रक्रिया और उनके साथ उसी तरह से व्यवहार करना क्योंकि वह (मान लिए जाते हैं) एक बदनाम समूह के सदस्य हैं यह देखे बिना कि वह किसी ''ग़ैर-क़ानूनी'' व्यवहार में वास्तव में शामिल थे भी। इससे लोगों पर क़ानून लागू करने वाले अधिकारियों और जनसाधारण द्वारा अधिक निगरानी किए जाने, भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न का ख़तरा बन जाता है।'' [1]

(ऐम्नेस्टी इन्टरनेशनल, बॉडी पॉलिटिक्स: ए प्राइमर ऑन क्रिमिनालाइज़ेशन ऑफ़ सेक्शुएलिटी एंड रिप्रोडक्शन)

अपराधिक क़ानून, **अपराधी, अपराधिक कृत्य/काम** या **अपराधिता** की श्रेणियाँ बनाता हैं।[xv] ऐसा करने के लिए यह, क्या ''सामान्य' माना जाता है और क्या नहीं, इसकी सामाजिक-सांस्कृतिक समझ को आधार बनाता है। ऐसा करके यह सत्ता, समावेशन और अलगाव को स्पष्ट करते हुए उन्हें फिर से बनाता है।[xvi] अपराधिक क़ानून औपचारिक रूप से उन कृत्यों/कामों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं जो हानि पहुँचाने का कारण बनते हैं और जो हानि पहुँचाने के इरादे से किए जाते हैं। लेकिन व्यवहार में देखें, तो हानि का क्या कारण होता है, कैसे हानि को परिभाषित किया गया है और कौन या किस चीज़ से हानि होगी, यह हर जगह अलग तरह से परिभाषित होता है। वास्तव में, लोग समाज में अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के कारण कई तरह से, एक साथ और इन सब के जुड़ाव से हर ओर से इंटरसेक्शनली रूप् से अपराधीकरण का सामना करते हैं।[xvii] उदाहरण के लिए, जहाँ ट्रान्स व्यक्ति अक्सर भेदभाव और हिंसा के ख़तरे में होते हैं, दलित ट्रान्स व्यक्ति के सामने दोहरे संरचनात्मक हिंसा और अलगाव के ख़तरे होते हैं, उनकी जाति और जेण्डर पहचान, दोनों ही पहचानों के कारण। इसी तरह से, जहाँ गर्भसमापन सेवायें ग़ैर-क़ानूनी या बुरी समझी जाती हैं, गर्भसमापन सेवाओं तक युवाओं की पहुँच, विशेषरूप से विकलांग युवाओं की, उनके लिए उसमें जटिलताओं की एक और परत जुड़ जाती है जो उनके लिए पहुँच में और भी कठिन अवरोध डाल देती है।

अपराधीकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है: यह केवल आपराधिक मुकदमों तक ही सीमित नहीं है। अपराधीकरण की सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रिया क़ानूनों (विशेषकर शारीरिक स्वायत्तता से जुड़े क़ानूनों) और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं और दृष्टिकोणों के संयोजन के माध्यम से होती है। ये सभी किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए अपराधी या नैतिक रूप से संदिग्ध बना सकते हैं। यह सब अपराधिक क़ानून और अपराधिक क़ानूनी प्रणाली के **सार** या **संरचना** तक ही सीमित नहीं है। इसमें **सांस्कृतिक पहलू** भी जुड़ जाता है; बदनामी की सामाजिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ, कुछ विशेष व्यवहारों, प्रचलनों, व्यवसायों, पहचानों और यौनिकताओं के विरुद्ध बहिष्कार और भेदभाव, खुल कर क़ानून में नहीं दिया हुआ है लेकिन यह सब व्यापक सामाजिक संदर्भ का बहुत बड़ा हिस्सा है। यह **सांस्कृतिक पहलू** आसानी से **क़ानून को लागू** करने और उन संस्थाओं से जुड़ जाता है।

जहाँ अपराधिक क़ानून, 'अपराधी' और 'पीड़ित/संघर्षशील' की दोहरी श्रेणी बनाता है, अपराधीकरण एक व्यक्ति को उसके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करने का काम करता है। क़ानून, सामाजिक क़ायदों को बदलने के लिए बनाए गए प्रतीकात्मक बयानों में एक ''भाव'' डालने का भी काम करता है। [xviii] लोग किसी क़ानून का समर्थन केवल उसके क़ायदों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि हो सकता है इसलिए करें कि उनका मानना है कि यह दिए जाने वाले संबन्धित 'बयान' के लिए मूल रूप से महत्वपूर्ण होगा। [xix] 'भाव' डालने को एक सीधा उदाहरण एक व्यापक विश्वास हो सकता है कि सबसे अधिक 'अनैतिक', नृशंस, घृणित' अपराध के लिए जो समाज के सामूहिक विवेक को हिला दे, मृत्यु दण्ड दिया जाना चाहिए [xx] (यह सभी शब्द नैतिक, राजनीतिक और अक्सर पितृसत्तात्मक संकेतों से भरे हुए हैं), चाहे ऐसे उदाहरण और प्रमाण मौजूद हैं जो बताते हैं कि मृत्युदण्ड से अपराध में कमी नहीं आती है। [xxi]

यहां तक कि जब कुछ क़ानूनों को लागू नहीं भी किया जाता है, तो आपराधिक क़ानून की प्रतीकात्मक ताकत के माध्यम से, अपराधीकरण लोकप्रिय कल्पना को बढ़ावा देता है कि आपराधिकता क्या है और अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। [xxii] यह लोगों के साथ हमारे संबन्धों को आकार देता है, हम समाज के बारे में कैसे सोचते हैं, और कैसे हम सरकारी और ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के साथ जुड़ाव बनाते हैं। और जब कम भी लागू किए जाते हैं तो भी क़ानून सामाजिक व्यवहारों और नज़रियों के माध्यम से निगरानी, नियंत्रण और भेदभाव के उपकरण में बदल जाते हैं।

---

[1] ***एम्नेस्टी इन्टरनेशनल (2018, 12 मार्च). बॉडी पॉलिटिक्स: ऐ प्राइमर ऑन क्रिमिनालाइज़ेशन ऑफ़ सेक्शुएलिटी एंड रिप्रोडक्शन. पीपी. 10, 54, 82, 98, 118, 139, 156, 186, 210.*** https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/7763/2018/en/

ऐम्नेस्टी इन्टरनेश्नल के अनुसार, यौनिक और प्रजनन मुद्दों के अपराधीकरण के तीन प्रकार हैं: [xxiii]

प्रत्यक्ष अपराधीकरण: ''ऐसे अपराधिक क़ानूनों को पास करना और/या लागू करना जो विशेषरूप से लक्षित करके यौनिक और/या प्रजनन कृत्यों, निर्णयों या जेण्डर अभिव्यक्ति को सज़ा दे।'' उदाहरण के लिए, किसी व्यवहार का अपराधीकरण वैचारिक कारणों से करना जो समाज को ''अनैतिक'' बनने से 'बचाने' के प्रयास में किया जाता हैं। उदाहरण के लिए, समलैंगिक यौनिकता (सहमति चाहे हो या ना हो) का श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में परिवारिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए, यौनिक विकार और ''अप्राकृतिक काम'' कह कर अपराधीकरण किया गया है।

अप्रत्यक्ष अपराधीकरण: ''सामान्य अपराधिक क़ानून या दण्डात्मक नागरिक या धार्मिक क़ानूनों को भेदभावपूर्ण तरीक़े से किसी विशेष यौनिक और/या प्रजनन कृत्य, निर्णयों या जेण्डर अभिव्यक्तियों पर रोक लगाने के लिए लागू करना'' इसमें उदाहरण के लिए, भीख मांगने का अपराधीकरण और आवारागर्दी विरोधी क़ानून जो अनुचित रूप से यौनकर्मियों, ट्रान्स और जेण्डर से परे व्यक्तियों को लक्षित करता है। श्रीलंका में, जबकि क़ानून ट्रान्स होने का अपराधीकरण नहीं करता, पुलिस अक्सर प्रतिरूपण या वेश बदलने के क़ानून के तहत ट्रान्स व्यक्तियों पर केस चलाती है।[xxiv] श्रीलंका की दण्ड संहिता की धारा 399 के अनुसार 'किसी व्यक्ति को वेश बदल कर धोखा देने'' के अपराध को ट्रान्स व्यक्तियों को लक्षित और गिरफ़्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस धारणा के आधार पर कि वे 'ज़नाना' पुरुष या 'मर्दाना' महिला हैं और विपरीत जेण्डर का वेश बदले हुए हैं, और इस तरह उनकी जेण्डर अभिव्यक्ति का अपराधीकरण कर दिया जाता है।[xxv]

दण्ड से मतलब है क़ानून, नीतियाँ और प्रशासकीय नियम जिनका लोगों को उनके बहिष्कृत यौनिक और/या प्रजनन कृत्यों, निर्णयों या जेण्डर अभिव्यक्ति के आधार पर दण्ड देने में, नियंत्रण करने में और उन्हें सुधारने के लिए अपराधिक क़ानून के समान ही उद्देश्य या प्रभाव हो।'[xxvi] स्कूल की युनिफ़ॉर्म जो दोहरे जेण्डर और जेण्डर भूमिकाओं पर आधारित होती है, किसी अन्य जेण्डर अभिव्यक्ति को अनुमति नहीं देती है और जो उनको, जो जेण्डर क्वीयर हैं, जेण्डर से परे हैं या जेण्डर में ख़ुद को नहीं बाँधते, अपराधीकरण के इस प्रकार में डाल देती है। प्रवास या सीमा पार करने के क़ानून जो लोगों को उनकी यौनिकता, स्वास्थ्य स्थिति या अन्य विशेषताओं के आधार पर आने से रोक देते हैं या निकाल देने का समर्थन करते हैं, यह भी ग़ैर-अपराधिक दण्डादेश के उदाहरण हो सकते हैं। बदनामी और भेदभाव के डर, सीमा पार करना चाहने वाले लोगों को अपना यौनिक रुझान और जेण्डर पहचान बताने से रोकता है, जिससे उनके लिए शरण/आश्रय मिल पाना विशेष रूप से और भी मुश्किल हो जाता है, यदि पहले ही उनके विरुद्ध केस उनके यौनिक रुझान और जेण्डर पहचान पर आधारित करके बनाया गया हो।[xxvii]

इस तरह का अपराधीकरण जो ऊपर दर्शाया गया है, युवाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर विपरीत प्रभाव डालता है जिन्हें अपनी यौनिकता और जेण्डर अभिव्यक्ति के बारे में ख़ुद से निर्णय लेने के लिए ज़िम्मेदार या समझदार नहीं समझा जाता है।

उदाहरण के लिए, भारत में ट्रान्सजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 किसी के जेण्डर के संस्थागत और चिकित्सीय प्रमाणपत्र को अनिवार्य करके [xxviii] स्व-निर्धारण के अधिकार को नकारता है। किसी की जेण्डर पहचान और अभिव्यक्ति को वैध बनाने के लिए इस क़ानूनी स्वीकृति की ज़रूरत एक तरह से सज़ा ही है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो वह केवल अपने माता-पिता/अभिभावक के माध्यम से ही एक ट्रान्स व्यक्ति के रूप में पहचान पत्र के लिए आवेदन दे सकते हैं। बदनामी के डर से, और इस धारणा के चलते कि युवा अपने लिए महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते हैं, बहुत मुश्किल है कि परिवार किसी युवा व्यक्ति के जेण्डर से जुड़े उसके निर्णय को स्वीकार करें, क़ानूनी मान्यता लेने की प्रक्रिया में उनका सहयोग मिलना तो दूर की बात है।

शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार का अपराधीकरण

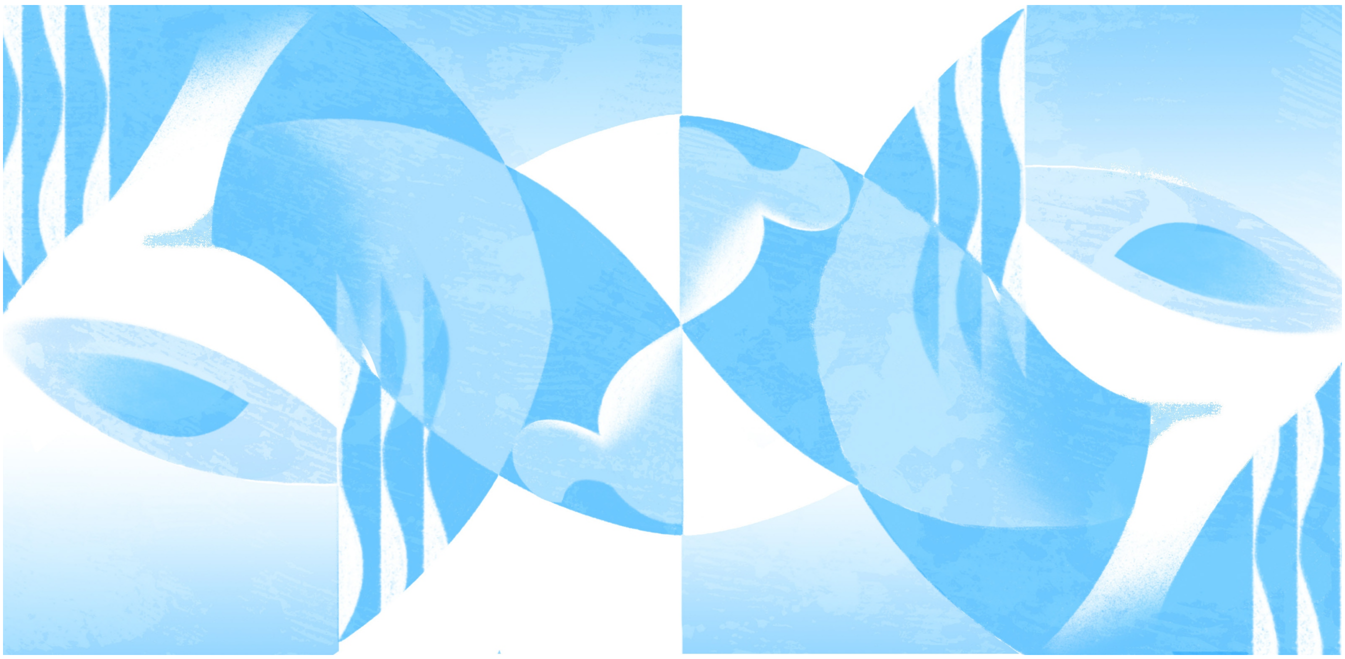

इस हिस्से में हम देखेंगे कि शारीरिक स्वायत्ता क्या है और दक्षिण एशिया के संदर्भ में उदाहरणों का प्रयोग करते हुए हम शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार के अपराधीकरण के प्रभावों को सामने रखेंगे।

द युनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फ़ंड (युएनएफ़पीए) ने शारीरिक स्वायत्ता को परिभाषित करते हुए कहा है, ''अपने शरीर के बारे में बिना किसी हिंसा के डर के या किसी और के द्वारा अपने बारे में निर्णय लिए जाए बिना, स्वयं अपने निर्णय ले पाने का अपना अस्तित्व और सत्ता ही शारीरिक स्वायत्ता है।[xxix] दूसरे शब्दों में, शारीरिक स्वायत्ता एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में चुनाव और उस पर अपना नियंत्रण रखने का अधिकारी होने के लिए सक्षम मानता है।[xxx] यह स्वतंत्र रूप से पूरी तरह से सूचना के साथ चुनाव के अधिकार के प्रयोग से जुड़ा है।[xxxi] यौनिक और जेण्डर क़ायदों (अन्य के साथ) का अटल और दोहरा भार जो किसी व्यक्ति के सूचित निर्णय लेने के अधिकार को सीमित करता है, और जो लोग यौनिकता, जेण्डर पहचान और अभिव्यक्ति के विभिन्न और अस्थिर प्रकारों को अभिव्यक्त करते हुए इसका उल्लंघन करते हैं, उन्हें नतीजे के तौर पर दण्डित करता है। यह क़ायदे (संस्कृति) आगे चलकर क़ानून और नीतियों (सार) में समाहित कर दिए जाते हैं, जिन्हें विभिन्न संस्थागत तंत्रों (संरचना) द्वारा अलग-अलग जगहों पर रखा जाता है और सरकारी और ग़ैर-सरकारी कारकों और संस्थाओं (संपादन) द्वारा लागू किया जाता है - यह सब मिलकर अपराधीकरण को पूरा करते हैं। युवा ट्रान्स, ग़ैर-बाइनरी, और जेण्डर में ना बंधने वाले लोग, उदाहरण के लिए, अक्सर अपने परिवारों द्वारा दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं, अपने घरों से

निकाल दिए जाते हैं, पहचान के दस्तावेज़ों से वंचित कर दिए जाते हैं और जेण्डर की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों तक पहुँचने में असमर्थ रहते हैं। उनकी शिक्षा प्राप्त करने की असमर्थता उनके पास दस्तावेज़ों की कमी के कारण होती है। शिक्षण संस्थाओं में भी, उन्हें अलग लिंग वाली गतिविधियों या जगहों तक पहुँच से वंचित किया जाता है या परेशान किया जाता है।[xxxii] युवाओं को जब सहयोग, शिक्षा, या किसी यौनिक गतिविधी में शामिल होने पर सार्वजनिक सेवायें या मदद नहीं मिलती है या क्योंकि उनका जेण्डर और पहचान की अभिव्यक्ति नियमों को तोड़ने वाली है, या क्योंकि वे ग़रीब या विकलांग हैं, वे ख़तरे की स्थिति में आ जाते हैं। यह सब स्पष्ट रूप से युवाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों की अनिवार्य रूप से दण्डात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है।

शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार का अपराधीकरण करने से यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है।[xxxiii] गर्भसमापन क़ानून आधुनिक चिकित्सीय प्रैक्टिस के साथ अक्सर सीमित और अस्थिर होते हैं, विशेषरूप से युवाओं के लिए। अपराधिक क़ानून इस बात को सीमित करता है कि गर्भाशय रखने वाले व्यक्ति अपने शरीर के साथ क्या कर सकते हैं, यह उन्हें असुरक्षित गर्भसमापन की ओर धकेलता है और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को इस तरह की सेवायें देने के लिए ख़तरे में डालता है। संरचनात्मक रूप से अलग किए गए, हाशियाग्रस्त, और विकलांग व्यक्तियों के लिए तो और भी अधिक ख़तरा है। उनके पास निजी स्वास्थ्य देखभाल के लिए, किसी अलग जगह पर गर्भसमापन सेवा लेने में या स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में उचित दरों पर सेवा मिलने के बहुत कम विकल्प होते हैं।[xxxiv]

क़ानूनों, नीतियों या प्रचलनों के द्वारा, अपराधीकरण एक ऐसा माहौल बनाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में परिकल्पित शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार होने को पूरी तरह से प्रयोग करने की संभावना पर रोक लगाता है। यह अपराधिक क़ानूनी प्रणाली की संरचना और सार से लेकर इसके सांस्कृतिक आधार और संपादन तक ऐसा ही दिखाई देता है। यह रोकता है, उदाहरण के लिए, सुरक्षित और सहमति से किए गए यौनिक आचरण से, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच से (जैसे गर्भनिरोधक सेवायें, हार्मोन थेरेपी, या वैकल्पिक गर्भधारण), यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार की, आसान पहुँच में, उपलब्ध जानकारी, या चिकित्सीय प्रक्रियायें (जैसे गर्भसमापन, जेण्डर पुष्टिकरण प्रक्रिया), इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं।

युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार के अपराधीकरण को चुनौती

"क़ानून बचपन की 'मासूमियत' और 'वयस्क' यौनिकता के बीच सीमा बनाए रखने के लिए विशेषरूप से क्रूर और कठोर है। बजाए इसके कि युवाओं की यौनिकता को मान देते हुए उन्हें इसके लिए एक ज़िम्मेदार और संवेदनशील तरीक़े से देखा जाए, हमारी संस्कृति स्थानीय सहमति की उम्र के नीचे किसी के भी द्वारा दिखाई गई यौनिक प्रवृति की रुचि और की गई यौनिक गतिविधी पर प्रतिबंध लगाते हुए दण्डित करती है। युवाओं को यौनिकता के प्रति समय से पहले जुड़ाव बनाने से बचाने के लिए देश में मौजूद क़ानूनोंकी संख्या हैरान कर देने वाली है। [xxxv]

(गेल एस. रुबिन, थिंकिंग सेक्स: नोट्स फ़ॉर ए रेडिकल थ्योरी ऑफ़ द पॉलिटिक्स ऑफ़ सेक्शुएलिटी)

बाल अधिकार संधि, 1989 (1989) ने 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की अन्तर्निहित गरिमा/सम्मान को मान्यता देने के मानक तय करते हुए उन पर एक अधिकार धारक के रूप में ध्यान केन्द्रित किया है। उनकी 'विकसित होती क्षमताओं' को पहचानना उनकी स्वायत्ता पर और उनके पारिवारिक जीवन पर ध्यान देते हुए उनको हानि से एक संतुलित संरक्षण देने का प्रयास है।[xxxvi] 'विकसित होती क्षमताओं' के फ़्रेमवर्क के बारे में हम अगले भाग में चर्चा करेंगें।

इस भाग में, हम युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता को नियंत्रित करने वाले दो प्राथमिक तरीक़ों पर बात करेंगें। पहले, हम सेक्स के लिए सहमति की उम्र पर क़ानून और नीतियों का प्रभाव देखेंगें। यह मिलकर एक एक स्पष्ट रेखा बना देते हैं कि कब और कैसे कोई व्यक्ति यौनिक प्रवृति की समझी जाने वाली किसी गतिविधी के लिए सहमति देने के योग्य है। अक्सर ही, इस तरह के क़ानून और नीतियाँ युवाओं को अपनी यौनिकता और/या जेण्डर अभिव्यक्ति और पहचान के बारे में जानने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम माहौल देने में असमर्थ होती हैं। दूसरे, हम देखते हैं कि क़ानून और नीतियाँ समग्र यौनिकता शिक्षा (सीएसई) के दायरे को सीमित कर रहे हैं, जिन्हें जीवन कौशल आधारित शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है (पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में)। इस तरह की जानकारी को प्राप्त करना जो सामाजिक शर्म और बदनामी से जुड़ा है, युवाओं के लिए यौनिकता और शारीरिक स्वायत्ता पर प्रमाण-आधारित, अधिकारों को मज़बूती देने वाली जानकारी तक पहुँच बना पाना लगभग असंभव हो जाता है। इस तरह से ना केवल यौनिकता और जेण्डर विविधता प्रतिबंधित मुद्दे बन जाते हैं, बल्कि कुछ मामलों में किसी व्यक्ति का अपनी ख़ुद की यौनिकता के बारे में जानने का भी प्रभावी रूप से अपराधीकरण कर दिया जाता है।

दक्षिण एशिया में 'सहमति की उम्र' के नियम, जिन्हें 'वैधानिक बलात्कार' क़ानून भी कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति के शरीर को जानने, उसकी इच्छाओं और यौनिकता को कलंक के दायरे में ले आते हैं। [xxxvii] यह क़ानून निर्धारित करते हैं कि एक दी हुई क़ानूनी उम्र (सहमति की उम्र) के नीचे के व्यक्ति की यौनिक गतिविधी को गतिविधी में शामिल बड़ी उम्र के व्यक्ति द्वारा उसके साथ बलात्कार माना जाएगा और उसका अपराधीकरण किया जाएगा, चाहे वह गतिविधी सहमति से हुई हो। यह क़ानून युवाओं को अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में अपने अनुभव, विचार, उत्सुकतायें, चिंतायें, घबराहटें और उत्साह साझा करने के लिए सुरक्षित जगहों पर कड़े प्रतिबंध लगाते हैं। युवाओं की उम्र बढ़ने या उनका शारीरिक विकास होने के दौर में यह अलगाव और अनिश्चित्ता को और भी बढ़ाते हैं। [xxxviii] यह आगे चल कर और भी जटिल हो जाता है जब क़ानून इसके अलावा एक विकलांग व्यक्ति की क़ानूनी क्षमता की मान्यता को सीमित कर देता है: विकलांग व्यक्तियों को आमतौर पर बिना यौनिक इच्छाओं वाला, बिना किसी जेण्डर के और अन्तर्निहित रूप से एक पीड़ित माना जाता है। [xxxix] इस तरह से, विकलांग युवाओं को अपनी यौनिकता को अभिव्यक्त करने के लिए या जेण्डर अनुरूप व्यवहार ना करने के लिए अनेक तरीक़ों से दण्डित किया जाता है।

भारत और नेपाल में सहमति की उम्र 18 वर्ष रखी गई है। [xl] बांग्लादेश और पाकिस्तान में, सहमति की उम्र 16 वर्ष है। [xli] श्रीलंका में सहमति की उम्र 16 वर्ष है [xlii], लेकिन वहाँ एक प्रावधान है जो 18 वर्ष से कम, हम-उम्र के व्यक्तियों के बीच सहमति से की गई यौनिक गतिविधी को न्यायिक रूप से मान्यता देता है। अगर आरोपी (आमतौर पर बड़ा, लेकिन विभिन्न जेण्डर मामलों में अक्सर अनुमानित रूप से लड़का/पुरुष) 18 वर्ष की उम्र के कम है और रिश्ता आपसी सहमति से बनाया गया है तो न्यायिक विवेक से सज़ा, अनिवार्य 10 वर्ष से कम कर दी जाती है। [xliii]

इस पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इतनी गहरी निगरानी और सामाजिक प्रतिबंधों के बावजूद युवाओं के बीच यौनिक गतिविधियाँ आम हैं। एशिया-पेसिफ़िक क्षेत्र में, प्रत्येक 6 में से 1 लड़की और प्रत्येक 10 में से 1 लड़का 15 से 19 वर्ष की उम्र में यौन संबन्ध बना लेते हैं, और 18 से 32 प्रतिशत लड़कियाँ और 5 से 32 प्रतिशत लड़के 18 वर्ष की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते यौन संबन्ध बना लेते हैं। [xliv] कई युवा अक्सर अपने हम-उम्र साथियों के साथ जल्दी शादी या कम औपचारिक रूप से प्रेमपूर्वक साथ रहने लगते हैं। [xlv]

युवाओं की यौनिकता का अपराधीकरण करने से उनके प्रति होने वाले नुक़सान काफ़ी बढ़ जाते हैं और यह नुक़सान समग्र यौनिकता शिक्षा और एसआरएचआर जानकारी और सेवाओं तक सीमित पहुँच के रूप में दिखाई देने लगते हैं। यह विशेषरूप से तब होता है जब 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों का केवल सेक्स के बारे में बातचीत करना भी प्रतिबन्धित है। बहुत कम जगहें मौजूद हैं जहाँ वे यौनिकता, संबन्ध, इच्छायें, इंकार, दायरे, सहमति, विविधता, जेण्डर समानता, यौनिक विशेषतायें, प्रजनन विकल्प और अन्य सम्बंधित विषयों के बारे में अपनी उम्र के अनुसार बिना किसी सज़ा के डर के सवाल पूछ सकते हैं। ऐसी बातचीत युवाओं की दुनिया की समझ का, उनके व्यक्तिगत विकास का और इसका कि वे कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, का एक ज़रूरी हिस्सा है। [xlvi]

दक्षिण एशिया में, वह उम्र जब सेक्स के लिए सहमति मान्य है (सहमति की उम्र) और वह उम्र जब आपको शादी करने की अनुमति है (शादी की उम्र), एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अधिकतर देशों ने या तो सेक्स के लिए सहमति की उम्र को शादी की उम्र के साथ मिला दिया गया है या शादी के बाहर सेक्स की सहमति को पूरी तरह से नकार दिया है (अक्सर 'व्याभिचार' के लिए सज़ा देकर)। प्रभावी रूप से होने वाली चर्चा अक्सर जल्दी विवाह को बाल विवाह से जोड़ कर देखने लगती है।[xlvii] इस तरह की शादियों पर प्रतिबंध, उनकी अमान्यता और अपराधीकरण करने के लिए आमतौर पर पैरवी कर मांग की जाती है।

जल्दी या बाल विवाह पर काम करते समय उम्र से जुड़ी सत्ता असमानताओं और उल्लंघनों की एक कड़ी के प्रभाव को जहाँ मान्यता दी गई है, अपराधीकरण करने की ऐसी कठोर मांग, युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार का अपराधीकरण करके उन्हें उससे वंचित करती है और एसआरएचआर तक पहुँच बनाने में अवरोधों को बढ़ाती है। वास्तव में, अध्ययन दिखाते हैं कि सहमति की उम्र बढ़ाने से और उसे शादी के साथ जोड़ने से कुछ युवा जल्दी शादी करने लगेंगे, क्योंकि उनके लिए फिर यही एक तरीक़ा होगा कि जहाँ वे सुरक्षित और 'क़ानूनी' रूप से मान्य यौनिक गतिविधियों को कर पायें और साथ ही एसआरएचआर सेवाओं तक पहुँच भी बना पायें। यौन संबन्धों के लिए सहमति देने की उम्र और शादी की उम्र को मिलाने से हो सकता है कि परिवार अपनी 'इज़्ज़त' बचाने के लिए, अपने बच्चों को यौनिक उत्पीड़न या शादी के बाहर गर्भावस्था से 'सुरक्षित' करने के लिए और शादी के बाहर अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की यौनिक गतिविधियों से बचाने से रोकने के लिए अपने बच्चों की (विशेषकर अपनी बेटियों की) शादी करने की कोशिश करें।[l]

पाकिस्तान[li], बांग्लादेश[lii], भारत[liii] और श्रीलंका[liv], में अपराधिक क़ानूनी प्रणाली और/या समुदायिक कारक 'समझौते' की बात करते है जहाँ बलात्कार का आरोपी अपराधिक ज़िम्मेदारी से बचने के लिए और/या उस महिला या लड़की की इज़्ज़त 'बचाने' के लिए युवा महिला या लड़की से शादी कर लेता है।

पूरे क्षेत्र से अभियान के साथियों ने अपने काम के दौरान देखी गई युवाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली परिस्थितियों के अलग-अलग सामान्य पहलुओं पर चर्चा की। जब युवा यौनिक गतिविधी में शामिल होते है या किससे शादी करनी है के अपने चयन के अधिकार का प्रयोग करते हैं, उनके परिवार विभिन्न कारणों से आपत्ति जताते हैं, जाति और धर्म से लेकर यौनिक और जेण्डर पहचानों, सामाजिक-आर्थिक स्तर तक या केवल इसलिए कि परिवार और/या समुदाय उनकी स्वायत्ता और निर्णय लेने की क्षमता पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है।[lv] इन आवेगों और भावनाओं के कारण, परिवार हो सकता है कि पुरुष साथी के विरुद्ध कई तरह के अपराधिक मामले दर्ज करा दे जिसमें अपहरण, यौनिक हमला और बलात्कार हो सकता है। यह क्वीयर और ट्रान्स जोड़ों के मामले में भी देखा जाता है, जहाँ अदालत एक वयस्क क्वीयर महिला की इच्छा के विरुद्ध[lvi] उसे उसके परिवार के संरक्षण में 'वापस' दे देते हैं और उसके चुने हुए साथी के विरुद्ध अनेक तरह की मामले, अपहरण, किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे रोकना आदि दर्ज करा देते हैं।[lvii] घर से चले/'भाग' जाने की स्थिति में, परिवार पुलिस के पास खोए हुए व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं या अपने बच्चों के स्कूल और दोस्तों से संपर्क करते हैं।

इन परिस्थितियों में, लड़कियाँ और युवा महिलायें आमतौर पर किसी 'शेल्टर होम' में भेज दी जाती हैं जब तब कि वे वयस्कता की उम्र ना प्राप्त कर लें या अपने माता-पिता के घर ना वापस चलीं जायें। इस बीच लड़कों या युवा पुरुषों को जुवेनाइल सेंटर में भेज दिया जाता है। यह पूरी पृष्ठभूमि है, निगरानी की, निजता/प्राइवेसी की कमी की, इच्छाओं और स्वतंत्रता पर नियंत्रण की, क़ैद और अलगाव की। क़ानून, नीतियाँ और प्रथायें जो एक संरक्षणवादी स्थिति को बढ़ावा देती हैं उस विचार को आगे ले जाती हैं कि युवाओं, विशेषरूप से युवा महिलाओं, और विकलांग व्यक्तियों के पास अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। उन्हें नियंत्रण में रखे जाने की ज़रूरत है, जबकि युवा पुरुषों को एक उल्लंघन करने वाले या उत्पीड़क के रूप में फंसा दिया जाता है।

पिछली दो शताब्दियों में, आंशिक रूप से उपनिवेशीकरण [lviii] के नतीजे में, बढ़ती हुई उम्र या तो निर्धारक मानी गई या फिर उसे उस सुनहरी रेखा के रूप में देखा गया जब एक युवा व्यक्ति अपने जेण्डर, यौनिकता और पहचान के बारे में अपने ख़ुद के निर्णय ले सकता है या नहीं ले सकता है।

इसके अलावा, आज सेक्स या शादी की उम्र को बढ़ाने को जबरन विवाह को रोकने के प्रयासों में बदलाव और 'सफ़लता' मापने के लिए किया जा रहा है। हॉलाकि, युवाओं के साथ काम करने वाली संस्थाओं ने यौनिक गतिविधी, और साथ रहने या शादी की उम्र को केवल और ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने से जुडी चिंता को सामने रखा है। संस्थाओ का कहना है कि इस तरह से हो सकता है कि जेण्डर आधारित हानि के मुख्य कारण, जैसे गहराई में बैठे हुए जेण्डर आधारित अनुक्रम, कठोर और विषमलैंगिक जेण्डर भूमिकायें, और अनुचित और भेदभावपूर्ण सामाजिक क़ायदों, पर काम करने के लिए ध्यान/फ़ोकस और संसाधन, दोनों ही का केन्द्र दूसरी तरफ़ चला जा सकता है। [lix] ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि युवाओं को एक निश्चित उम्र तक पहुँचने के बाद अधिक स्वायत्ता मिल जाती है (उदाहरण के लिए 18 वर्ष)।

केवल शादी या यौनिक गतिविधियों की उम्र को आगे बढ़ाने से अपने आप में जेण्डर आधारित हिंसा, भेदभाव, शिक्षा और आजीविका के सीमित अवसर, सीमित गतिशीलता और एसआरएचआर सेवाओं व जानकारी तक सीमित पहुँच की संभावना कम नहीं होती है। इसके विपरीत, प्रमाण बताते हैं कि बेहतरीन सुरक्षा की व्यवस्था, शिक्षा, जिसमें समग्र यौनिकता शिक्षा और जेण्डर ग़ैर-नियमन प्रशिक्षण शामिल है, से आती है। [lx]

संरक्षणवादी क़ानून, नीतियाँ, और प्रथायें युवाओं के अधिकारों को दबाती हैं

युवा व्यक्ति अधिकार धारक हैं जो अपने स्वास्थ्य, यौनिकता, प्रजनन और जेण्डर के बारे में अपनी विकसित होती क्षमताओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अपराधिक क़ानून, अपने प्रत्यक्ष अभियोजन और अप्रत्यक्ष रूप से परिवार की निगरानी को सशक्त करते हुए एक संरक्षणवादी विचारधारा के प्रतीक हैं। ऐसी विचारधारायें अक्सर उन 'सुरक्षा किए जाने वालों' की स्वतंत्रता को नकारती हैं। अधिकारों की सुरक्षा करने वाली विचारधारा सुरक्षा, शिक्षा और स्वतंत्रता पर आधारित होती है जो आपस में मिलकर एक दूसरे को मज़बूत करती है।

हमारा मानना है कि सुरक्षा क्या है, इसकी एक बेहतर समझ और जब अपराधिक या औपचारिक संरक्षण वास्तव में सुरक्षा के लिए शर्तें बनाते है, तो ज़रूरी है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि संरक्षण अधिकारों को बढ़ावा दे ना कि उन्हें सीमित करे। [lxii]

दूसरे शब्दों में, यह महत्वपूर्ण है कि युवा जो हानि और अधिकारों के हनन की दृष्टि से कमज़ोर परिस्थितियों में हैं (विशेषरूप से उस संदर्भ में जब वे सामने आने वाले ख़तरों के प्रति सचेत ना हों), उनकी सुरक्षा की जाए। फिर भी, यह संरक्षण

विभिन्न रूप ले सकता है, जिसमें से कुछ रूप तो अधिकारों को मज़बूती प्रदान करेंगें तो कुछ अधिकारों में बाधा डालेगें या उनका उल्लंघन करेंगे।

सन्दर्भ पुस्तिका के इस भाग में, डेटा, केस स्टडीज और दक्षिण एशिया के युवाओं के अनुभवों का उपयोग करेंगें, हम उन विभिन्न
तरीकों का वर्णन करते हैं जिनसे अपराधीकरण अधिकारों और स्वतंत्रता को कमजोर करता है। उदाहरण के तौर पर भारत का बच्चों का यौनिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 है। पॉक्सो जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं और बच्चों के दुर्व्यवहार पर ध्यान रखना है, वास्तव में, 18 वर्ष से कम के युवाओं के साथ और उनकी सभी प्रकार की यौनिक गतिविधियों और अभिव्यक्तियों का अपराधीकरण करता है और साथ ही रिपोर्टिंग करने की अनिवार्यता को भी लाता है। [lxiii] इससे किसी व्यक्ति द्वारा जिसे यह जानकारी है कि कोई 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति किसी प्रकार की यौनिक गतिविधी में शामिल है और वह उसकी रिपोर्ट ना करे तो यह एक अपराध है । यह क़ानून युवाओं की एसआरएचआर सेवायें, उनकी समग्र यौनिक शिक्षा तक पहुँच और निश्चित रूप से उनके निजता के अधिकार और स्वतंत्रता पर विपरीत प्रभाव डाला है। अपने एक प्रमुख कार्यक्रम को चलाते समय, द फ़ेमिनिस्ट अडोलेसेन्ट एंड यूथ-लेड एक्शन (एफ़एवाईए), [lxiv] द वाईपी फ़ाउन्डेशन (टीवाईपीएफ़) ने पाया कि पॉक्सो, युवाओं की समग्र यौनिकता शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने में एक अवरोध है। इस कार्यक्रम के प्रशिक्षक (अन्य के साथ) अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं कि ऐसे मुद्दों को जानने समझने के लिए सुरक्षित जगह प्रदान करें या क़ानून का पालन करें जो किसी अपराध के होने के शक पर भी रिपोर्टिंग को अनिवार्य करता है। साथ ही, क़ानून जो करने को कहता है, उसके बिल्कुल विपरीत, उन उदाहरणों में जहाँ प्रशिक्षको ने युवाओं को हानि पहुँचने और उनके अधिकारों के उल्लंघनों के मामले मे चिंता करते हुए पुलिस को बताया है, पुलिस ने उनसे उल्टे ही सवाल पूछते हुए देरी से रिपोर्ट करने के लिए दोषी ठहराया है।

पाकिस्तान: पाकिस्तान का क़ानूनी परिदृश्य इस क्षेत्र में थोड़ा अलग है। पाकिस्तान के संवैधानिक और शरिया क़ानून, एक साथ काम करते हैं, यानि दोनों में से कोई भी क़ानून अपनी प्राथमिकता के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है। व्यवहार में इसका मतलब है कि एक युवा व्यक्ति की, विशेषरूप से युवा महिला और लड़कियों की स्वायत्ता या सहमति पर, यदि देखा जाये तो बहुत मुश्किल से ध्यान दिया जाता है। यदि एक लड़की जो शादी की क़ानूनी उम्र के नीचे है, [lxv] अपनी इच्छा से शादी करना चाहती है, तो परिवार के सदस्यों और सामाजिक कारकों द्वारा संवैधानिक क़ानून का प्रयोग करके उसकी शादी को रोक दिया जाता है। दूसरी तरफ़ शरिया क़ानून का प्रयोग अक्सर युवा महिलाओं और लड़कियों की शादी को सही ठहराने के लिए किया जाता है। साथ चलने वाली शरीया व्यवस्था के अनुसार, शादी की उम्र माहवारी शुरु होने के बाद हो जाती है। इसको लेते हुए, शादियाँ अक्सर युवाओं की बढ़ती हुई यौनिकता पर, उनकी 'पवित्रता' पर नियंत्रण लगाने के लिए और परिवार और समुदाय की 'इज़्ज़त' बचाने के लिए कराई जाती हैं जो अक्सर उन्हें उनकी यौनिक स्वतंत्रता से वंचित कर देती है। [lxvi]

नेपाल: नेपाल, इसके विपरीत, शारीरिक स्वायत्ता पर काफ़ी प्रगतिशील क़ानूनों और नीतियों के लिए अक्सर जाना जाता है। वाईयूडब्लूए नेपाल में समावेशी समग्र यौनिकता शिक्षा के लिए पैरवी करने पर काम कर रही है। जबकि नेपाल सरकार का एक वृहद समग्र यौनिकता शिक्षा कार्यक्रम है, कार्यक्रम की संरचना और उसका क्रियान्वहन अभी भी गहराई में मौजूद प्रतिबन्धित और संरक्षणवादी फ़्रेमवर्क से जुड़ा हुआ है। नतीजे के तौर पर, इसका ध्यान केवल प्यूबर्टी, स्वास्थ्य, माहवारी और सुरक्षित मातृत्व पर होकर काफ़ी सीमित है। वाईयूडब्लूए ने सीएसई के दायरे को बढ़ाने की पैरवी की है जिससे उसमें अधिकारों की भाषा को शामिल करने और युवाओं की स्वायत्ता को केन्द्र में रखने की बात कही गई है। लेकिन, यौनिकता से जुड़े सामाजिक शर्म और बदनामी के कारण इसके लिए माता-पिता और शिक्षकों की अनिच्छा का सामना करना पड़ा है। [lxvii]

भारत: हिडेन पॉकेट्स कलेक्टिव भारत में युवा अविवाहित युवा महिलाओं के लिए गर्भसमापन प्रतिबंधों को सामने लाने पर काम कर रही है। गर्भसमापन सेवा प्रदाता और सेवा लेने वाले अक्सर इस ग़लत धारणा के शिकार होते हैं कि गर्भसमापन ग़ैर-क़ानूनी है या यह सुविधा केवल विवाहित महिलाओं के लिए ही है। [lxviii] सेवा प्रदाता की पॉक्सो की अनिवार्य रिपोर्टिंग को लेकर नैतिक उलझन और युवाओं के लिए उच्च दर्जे की देखभाल देने की प्रतिबद्धता, 2021 में प्रकाशित हुए साक्षात्कारों में सामने आई है। सेवा प्रदाताओं ने बताया कि युवा अक्सर अपने मामलों में अपने माता-पिता या क़ानून को शामिल करना नहीं चाहते हैं। [lxix] अनिवार्य रिपोर्टिंग के बारे में जानने के बाद, कई गर्भसमापन कराने की इच्छुक युवा फिर उन सेवा प्रदाताओं के पास वापस नहीं आतीं, और कुछ सेवा प्रदाता तो वास्तव में स्वयं ही उन्हें अन्य क्लिनिकों का पता बता देते हैं जहाँ वे पूरी गोपनीयता से अपनी गर्भावस्था को समाप्त करा सकती हैं। [lxx]

युवा एक अधिकार धारक के रूप में: बाल अधिकार संधि में 'विकसित होती क्षमतायें'

बाल अधिकार संधि का अनुच्छेद 5 कहता है कि:

राज्य पक्ष बच्चे के माता-पिता/विस्तारित परिवार के सदस्यों या, स्थानीय रीति-रिवाज के अनुसार नियुक्त समुदाय के सदस्यों/क़ानूनी अभिभावकों या बच्चे के लिए क़ानूनी रूप से जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों की जिम्मेदारियों, अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान करेंगे, ताकि बच्चे को उचित दिशा और मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके ताकि वे बाल अधिकार कन्वेंशन में मान्यता प्राप्त अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। यह बच्चे की विकसित होती क्षमताओं के सिद्वांत का सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 5 में दिया गया सक्षम बनाने वाला सिद्धाँत यह मानता है कि बड़े होने और विकसित होने के स्तर एक समान नहीं होते हैं और युवाओं के जीवन के विभिन्न अनुभव और परिस्थितियाँ उनकी परिपक्वता, अस्तित्व, क्षमताओं और ज़िम्मेदारी निभाने की योग्यताओं के स्तरों को आकार देती हैं। [lxxi]

बाल अधिकार संधि यह भी कहती है कि क़ानून और कार्यक्रमो को युवाओं के ''सर्वोच्च हित'' को प्राथमिकता देनी चाहिए। [lxxii] इसके अलावा, माता-पिता या अभिभावक का यह विचार कि किसी युवा व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में क्या है, कन्वेंशन के तहत युवा व्यक्ति के सभी अधिकारों का सम्मान करने के दायित्व को खत्म नहीं कर सकता है। [lxxiii] विकसित होती क्षमताओं को एक सकारात्मक और सक्षम बनाने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि सत्तावादी प्रचलनों के एक बहाने के रूप में जो युवाओं की स्वतंत्रता और स्व-अभिव्यक्ति पर रोक लगाती हैं। [lxxiv] युवाओं की विकसित होती क्षमताओं को सम्मान देने का एक उदाहरण, अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून और कुछ घरेलू क़ानूनों में इस बात पर जोर देने से यह दिखाता है कि विविध लिंग विशेषताओं के साथ बच्चों और युवाओं पर शल्य-चिकित्सीय हस्तक्षेप से पहले उनकी पूरी सूचित सहमति लेने के लिए कहा गया है। इसमें विशेषरूप से वे शामिल हैं जो जन्म के समय लिंग निर्धारित करना चाहते हैं या बदलाव के लिए जननांगों की सर्जरी करते हैं। [lxxv]

बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने 1990 में सीआरसी को अंगीकार किया। भारत और श्रीलंका ने 1992 में अंगीकार किया। ऐसा करने से, इन सभी देशों ने प्रतिबद्धता दर्शाई कि वे संधि का उसके सभी बुनियादी सिद्धाँतों के साथ पालन करेंगें। इस प्रतिबद्धता के बावजूद, 'संरक्षण' के विचार को अभी भी क़ानून और नीतियों (और उनका क्रियान्वहन) को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो युवाओं को प्रतिबन्धित करती है, सज़ा देती है और कुछ मामलों में युवाओं की स्वायत्ता पर रोक लगाती है।

युवाओं के अधिकारों की सर्वोत्तम सुरक्षा उनकों सही जानकारी, सूचना, सक्षम बनाने वाले माहौल के साथ स्वायत्ता और स्वतंत्रता पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो उनकी पूरी तरह से सूचित निर्णय लेने और सेवाओं तक पहुँच के साथ सहयोग दे। युवा अपनी यौनिकता के बारे में जानने और उसका आनन्द लेने का अधिकार रखते हैं, बिना किसी बदनामी के, ज़बदस्ती शादी कर दिए जाने के, स्कूल से निकाल दिए जाने के, दोस्तों और प्रियजनों से अलग कर दिए जाने के डर के या हिंसा का सामना किये बिना।

बजाए इसके कि दमनकारी संरक्षणवादी नीतियों का सहारा लिया जाए जो युवाओं की स्वतंत्रता को सीमित करती हैं और उन्हें अपने अधिकार प्राप्त करने से रोकती हैं, उनका सशक्तिकरण करना सबसे अधिक प्रभावी तरीक़ा होगा जो उनके अधिकारों की रक्षा कर सके।[lxxvi] अनेक समूह और संगठनो ने ऐसे कार्यक्रम बनाए और क्रियान्वित किए हैं जो युवाओं को अपनी यौनिकता, यौनिक व जेण्डर अभिव्यक्ति के बारे में निष्पक्ष, सकारात्मक और अधिकारों को पुनर्स्थापनात्मक माध्यम से सवाल पूछने, सीखने और प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। नारीवादी पैरवी में दक्षिण एशिया के साझे प्रयास में फ़ेमिनिस्ट इन्क्वायरीज़ इन्टू राइट्स एंड इक्वैलिटी (एफ़आईआरई),[lxxvii] और सीईएफ़एमयू (चाइल्ड, अर्ली व फ़ोर्सड् मैरेज एंड यूनियन्स) और सेक्शुएलिटी वर्किंग ग्रुप और उसके सहयोगी संस्थायें[lxxviii] शामिल हैं (अन्य के साथ) ने संरक्षणवादी विचारधाराओं को चुनौती देना और जेण्डर आधारित हानि के तहत, जेण्डर-बदलावकारी, गैर दंडात्मक और सम्पूर्ण विचारधाराओं को आगे बढ़ाना जारी रखा है।

जवाबदेही, ना कि सज़ा

इस भाग में हम अपराधिक क़ानूनी प्रणाली के शिकार युवाओं के अनुभवों पर चर्चा करेंगे और अधिकारों को पहचान दिलाने, उनका संरक्षण और उनकी प्राप्ती पर काम करने के लिए विकल्पों के बारे में बात करेंगे। हम अनौपचारिक न्याय व्यवस्था, रोकथाम के उपाय, और परिवर्तनकारी प्रथायें जैसे विभिन्न विकल्पों को देखेंगे। हम पुनर्स्थापनात्मक न्याय और बदलावकारी प्रथाओं को देखते हुए उन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेंगें जो उन पर काम करते समय सामने आते हैं। अंत में हम दक्षिण एशिया में युवाओं के साथ अपने काम के संदर्भ में इन विकल्पो को लागू करने में सामने आने वाली वास्तविकताओं पर चर्चा करते हुए विचार करने के लिए सवालों की एक कड़ी सामने रखेंगे।

अपराधीकरण को चुनौती देने का जो फ्रेमवर्क हमने बनाया है, हमें यह मानने पर मजबूर करता है कि न्याय पाने के लिए या केवल ग़लत/नुक़सान हुआ है, यह मान्यता लेने के लिए, अपराधिक क़ानूनी प्रणाली हमेशा ही एक उचित या उपयुक्त माध्यम नहीं होता है। जैसे कि क़ानूनी शास्त्रियों के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने कहा है कि ''व्यक्तियों पर नियंत्रण लगाने के सरकार के पास मौजूद सभी उपकरणों में अपराधिक क़ानून सबसे अधिक ठोस टूल है। वैसे तो जब सभी न्यायसंगत उपाय अपर्याप्त साबित हो जायें तो इसे अंतिम उपाय की तरह लिया जाना चाहिए। लेकिन, वैश्विक रूप से सरकारों का अधिक क़ानूनी हस्तक्षेप और अत्यधिक अपराधीकरण करने की ओर एक बढ़ता हुआ झुकाव देखने को मिलता है।''

इस अन्तर्राष्ट्रीय अपराधिक क़ानून के एक *अंतिम उपाय के रूप में अपराधिक क़ानून*[xxix] के सिद्धाँत को अधिकार धारको के निजी जीवनों में सरकार की दख़लअंदाज़ी और नियंत्रण की आवश्यकता की वैश्विक मान्यता के रूप में देखा जा सकता है।[lxxx]

अधिकतर यह इसलिए क्योंकि अपराधिक क़ानून का सार, संरचना और उसे लागू करने के क़ायदे, संरचनात्मक अलगाव और असमानता का पोषण और सहयोग करने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक क़ायदों में बहुत अधिक रचा बसा है। यह अक्सर जेण्डर, जाति, नस्ल, विकलांगता, स्वास्थ्य स्थिति, आजीविका और विशेषाधिकार और अलगाव की ऐसी ही अन्य लेकिन समान धुरियों के आधार पर होता है।

इस तरह के पीछे धकेलने वाले संरक्षणवाद और सज़ा के ईर्द-गिर्द बनी नीतियाँ, असमानता, भेदभाव और रूढ़िवादों पर काम नहीं कर सकती हैं जो संवेदनशीलता की स्थिति बनाते हैं, जबकि वास्तव में उन्हें - चाहे जानबूझकर या ग़लती से - इन्हें मज़बूती देने के लिए और यहाँ तक कि उनकी पुन:स्थापना के लिए ही बनाया गया है।

उदाहरण के लिए, युवा महिलाओं और लड़कियों को अलग जेण्डर, जाति, वर्ग या धर्म के व्यक्तियों के साथ आपसी सहमति के संबन्धों (लेकिन क़ानून में इसे असहमति के तौर पर परिभाषित किया गया है) में जाने से रोकने के लिए उन्हें 'संरक्षात्मक निगरानी' में रखने से संबन्धों के भीतर होने वाली एक दुसरे से जुड़ी व्यक्तिगत हानि और हिंसा पर बहुत कम असर पड़ता है,

बल्कि इससे उस युवा महिला के अधिकार ज़रूर ख़तरे में पड़ जाते हैं।

हानि के पीछे छिपे कारणों और कैसे यह संरचनात्मक रूप से स्थित हैं, और साथ ही इनके प्रभाव, इन सवालों के जवाब ढूंढने से ही अधिक अर्थपूर्ण और दीर्घकालीन कार्यक्रम बन सकते हैं। इसका अर्थ है कि ज़मीनी स्तर की वास्तविकताओं से आकार लेने वाले बदलाव और रोकथाम के प्रयासों में अपनी उर्जा और संसाधन लगाना जो हानि में योगदान देने वाले इन मूल कारणों, संरचनात्मक असमानता और सत्ता की असमान स्थिति पर ध्यान दे सकते हैं।

इसके लिए एक मज़बूत जवाबी वर्णन/शोध तैयार करना होगा जो युवाओं को शारीरिक स्वायत्ता का फ्रेमवर्क, उनकी निजता और सम्मान को, न्याय को प्रभावित करने वाले प्रयासों में सबसे आगे रखे।

इस प्राइमर के लिए किए गए परामर्श में, साथी संस्थाओं ने जेण्डर आधारित हानि जिसमें हिंसा भी शामिल है, से 'पीड़ित' या 'संघर्षशील' होने से जुड़ी बदनामी और क़ानून लागू करने वालों के प्रतिकार व विरोध के अपने अनुभवों के बारे में बताया है। इन सम्मेलनों से पता चलता है कि साथी संस्थायें पहले से ही पुलिस और अपराधिक क़ानूनी प्रणाली के साथ किसी मामले के हल के लिए जाना कम पसंद करती हैं। इसके अलावा, उनके द्वारा यह बना हुआ असहयोगी रवैया और इसके नतीजे में युवाओं पर हो सकने वालो और भी कोई हानि का मतलब है कि अपराधिक क़ानूनी प्रणाली को मामलों को हल करने के लिए ज़िम्मेदार या प्रभावी माध्यम के रूप में नहीं देखा जाता है - वास्तव में, इसे समस्या के एक हिस्से के तौर पर देखा जाता है। साथ ही, अधिकतर - अगर सब जगह नहीं - दुनिया के हिस्सों में अपराधिक क़ानूनी प्रणाली का बहुत छोटे स्तर के अलावा कोई भी अनुकूल विकल्प नहीं है। फिर भी, पूरे दक्षिण एशिया में, समूह और संघों ने एक दुसरे से जुड़ी व्यक्तिगत और सामाजिक हानि पर काम करने के लिए कई विकल्पों को देखा है। हम 'पारंपरिक' विवाद निपटाने की व्यवस्थाओं और नई, अधिक बदलावकारी अनौपचारिक व्यवस्थाओं के अंतर की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहेगें, जिन्हें एक्टिविस्ट बनाना चाहते हैं।

कुछ मौजूदा अनौपचारिक न्याय/विवाद निवारण व्यवस्थाओं को हो सकता है कि औपचारिक क़ानूनी प्रणाली और विशेषरूप से अपराधिक क़ानूनी प्रणाली के 'विकल्प' के तौर पर देखा जाए। उदाहरण के लिए, भारत में नारी अदालत [lxxxi] घरेलू हिंसा के मुद्दे जिनके लिए महिलाओं को औपचारिक न्यायिक व्यवस्था में न्याय नहीं मिलता है, को देखने के लिए महिला नेतृत्व वाली एक सामुदाय आधारित विवाद निवारण व्यवस्था है। अधिकतर विकल्प, हॉलाकि ज़रूरी नहीं है कि विविध जेण्डर, यौनिकताओं और शारीरिक स्वायत्ता को समर्थन देने वाले हों। उदाहरण के लिए, भारत में ग्राम न्यायालय [lxxxii], पाकिस्तान में जिरगा [lxxxiii], बांग्लादेश में शालिश [lxxxiv] या श्रीलंका के मीडिएशन बोर्ड इनमें शामिल हैं। [lxxxv] इनके अलावा, प्रथागत अदालतें [lxxxvi] और पंचायतें भी हैं। हॉलाकि ये मौजूदा व्यवस्थायें अक्सर अलगाववादी विचारधाराओं और प्रथाओं, जिसमें जेण्डर पक्षपात, जातिवाद और क्षमतावाद शामिल है, से गहराई से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा, इन अनौपचारिक व्यवस्थाओं के सदस्य अक्सर समुदाय के सत्ताधारी लोग होते हैं जो बजाए इसके कि मदद मांग रहे व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करें, समुदाय की नैतिकता और यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास करते हैं, विशेषरूप से तब तो और भी जब मामला किसी युवा और/या संरचनात्मक रूप से अलग /हाशिये के व्यक्ति का हो। [lxxxvii]

रोकथाम के उपायों में जेण्डर आधारित हानि और अन्य मानवाधिकार हननों के मूल कारण पर काम करना शामिल है। उदाहरण के लिए, जल्दी विवाह का अपराधीकरण करने के बजाए, रोकथाम के उपायों को जानकारी और शिक्षा तक पहुँच की कमी, युवाओं (विशेषकर युवा लड़कियों) के लिए समुचित मानकों के अनुरूप निर्णय लेने की सत्ता की कमी, आर्थिक असमानता आदि पर काम करना चाहिए। [lxxxviii] विशेषरूप से प्रमाण बताते हैं कि समग्र यौनिकता शिक्षा जो युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता के मुद्दे पर काम करती है और उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले नुक़सानों को कम करती है, युवाओं को ख़ुद को सुरक्षित करने का माध्यम बनाने में कहीं अधिक प्रभावी है। [lxxxix] यह उपाय नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से अस्तित्व में आए हैं और इनका नेतृत्व सरकारी या ग़ैर सरकारी दोनों ही तरह का हो सकता है।

लीक से हटकर प्रथायें उन प्रथाओं की बात करती हैं जिसमें अपराधिक क़ानून का उल्लंघन करने के आरोपी युवाओं को न्यायिक प्रक्रियाओं से 'अलग दिशा में' ले जाया जा सकता है। [xci] इन प्रथाओं में देखभाल, काउन्सिलिंग अवधि, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम, और किशोर पैनल मध्यस्थता अन्य के साथ शामिल हैं। दुर्भाग्यवश, दक्षिण एशिया में संस्थागत रूप से अलग तरह की प्रथाओं के बारे में बहुत ही सीमित दस्तावेज़ीकरण किया गया है। इन कार्यक्रमों में युवाओं द्वारा पूरी ज़िम्मेदारी से निर्णय लेने के भी बहुत सीमित प्रमाण हैं। साथ ही इस सवाल को भी कम देखा गया है कि वे युवा जिनमें इसके बाद भी 'परिवर्तन' नहीं आता हैं, क्या उन्हें अंत में अपराधिक क़ानूनी प्रणाली में वापस भेज दिया जाता है?

समग्र यौनिकता शिक्षा, एक व्यक्ति को अपने यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सक्षम बनाती है। यह किशोरों और युवाओं को सशक्त करती है कि वे अपने यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय ले सकें और जल्दी गर्भधारण, यौनिक संक्रमण रोगों जिसमें एचआईवी शामिल है, से बच सकें। यह उन्हें अपनी शारीरिक स्वायत्ता और अखण्डता के अधिकार को समझने में और जेण्डर रुढ़िवाद और नकारात्मक सामाजिक क़ायदों को तोड़ने में मदद देती है। इसके अलावा, समग्र यौनिकता शिक्षा उनके अपने व्यक्तिगत विकास में, एक अधिक समान समाज की ओर और मानवाधिकारों की पूर्ती में योगदान देती है। साथ में, समग्र यौनिकता शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहारों के पैटर्न जो महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देते हैं, को बदल कर पितृसत्तात्मक प्रधान व्यवस्था और हानिकारक/ज़हरीली मर्दानगी को संबोधित करने का एक प्रभावी माध्यम है। [xc]

(ट्लैंग मोफ़ोकेन्ग, विक्टर मैडरिगल-बार्लोज़, फ़रीदा शाहिद, डोरोथी इस्ट्राडा-टैंक, सुश्री इवाना रेडेसिक, एलिज़ाबेथ ब्रोडेरिक, मेस्केरेम, गेस्टेशन और मेलिसा उप्रेती, ए कौम्पोडियम ऑन कॉम्प्रिहैन्सिव सेक्शुएलिटी एजुकेशन)

पुनर्स्थापनात्मक प्रथायें /रेस्टोरेटिव प्रैक्टिसेज

पुनर्स्थापनात्मक न्याय की प्रथायें एक स्वस्थ्य समाज बनाना, अपराध और ग़लत कामों को रोकना, हानि को सुधारना और संबन्धों को फिर पहले जैसा बनाना चाहती हैं। [xcii] दूसरे शब्दों में कहें तो उनको संरचनात्मक अलगाव, सत्ता और विशेषाधिकार को सम्बोधित करने के लिए ही बनाया गया है। विश्व भर में विभिन्न समुदायों में जिसमें देशज/आदिम जनजातीय समुदाय या वे जो पंरपरागत और आदिवासी क़ानूनों का पालन करते हैं, और वैश्विक उत्तर में अलग मूल/नस्ल के और आदिम समुदाय, हानि को देखने के लिए और संबन्धों को ठीक करने के लिए, क़ानूनी व्यवस्था से अलग, मज़बूत करने वाली विचारधाराओं का प्रयोग करते हैं।

पुनर्स्थापनात्मक न्याय उस सिद्धाँत पर आधारित है जो उल्लंघनों और अपराधों को व्यवस्थात्मक असमानता के साथ संबोधित करते हैं। ऐसा करने से, वे अपराध कर्ता के साथ और जिसके साथ हनन हुआ है और अक्सर समुदाय के भी साथ मिलकर एक ऐसे समाधान की दिशा में काम करते हैं जो सभी के लिए संतोषजनक हो। [xciii]

पुनर्स्थापनात्मकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि हत्या जैसे मामलों में हानि को उल्टाया नहीं जा सकता है। हाँ सुधार की कोशिश की जा सकती है - गलती की ज़िम्मेदारी लेते हुए, माफ़ी मांगते हुए, क्षतिपूर्ती करके, और ऐसे कदम उठा कर कि ऐसा फिर दोबारा ना हो आदि। [xciv]

पुनर्स्थापनात्मक न्याय की तीन प्रमुख धाराए है- पीड़ित-उत्पीड़क की बातचीत, परिवारों की बातचीत, और घेरे मे बैठ के चर्चा करना का तरीक़ा। [xcv] पीड़ित-उत्पीड़क संवाद में मुख्य रूप से पीड़ित और उत्पीड़क शामिल होते हैं। उनके साथ व्यक्तिगत बातचीत करके, उनकी सहमति से आगे बढ़ते हुए, एक प्रशिक्षित सुगमकर्ता की निगरानी में उनक सामना कराया जाता है। [xcvi] परिवार की बातचीत [xcvii] अक्सर किसी अपराध के आरोपी बच्चों को औपचारिक क़ानूनी व्यवस्था से अलग ले जाने के लिए की जाती है। इस तरीक़े का प्रयोग 1989 में न्यूज़ीलैण्ड में युवा न्याय प्रक्रिया के तहत किया गया, जहाँ अब यह एक नियम बन गया है, और युवा आरोपी के मामलों में अदालत अब पीछे से समर्थन देती हैं। [xcviii]

यह ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि दक्षिण एशिया में पीड़ित-उत्पीड़क संवाद की प्रथाओं का समुचित दस्तावेज़ीकरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि यह प्रथायें विशेष और विविध सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों पर ध्यान देते हुए उनमें आवश्यकतानुसार समुचित बदलाव किए बिना निष्पक्ष रूप से अपना काम करती हैं।

नेपाल में, द नेपाल फ़ोरम फ़ॉर रेस्टोरेटिव जस्टिस, न्यायिक जगहों और समुदाय में भी पुनर्स्थापनात्मक न्याय को बढ़ावा देने का काम करती है, वहाँ इस दृष्टिकोण के प्रति रुचि तेज़ी से बढ़ रही है। [civ] पाकिस्तान और श्रीलंका में, हॉलाकि पुनर्स्थापनात्मक न्याय पर बातचीत अभी भी शुरुआती दौर में है, पंचायत और मध्यस्थ्ता के माध्यम से तेज़ी से न्याय करने के लिए कुछ विशेष क़ानून और नियमो को लागू करने के प्रयास किए गए हैं।

कुछ पुनर्स्थापनात्मक प्रथायें जिनके बारे में हमने बताया, अपराधिक क़ानूनी प्रणाली के साथ-साथ चलती हैं (सरकारी संस्थाओं के सहयोग से)। फिर भी इन प्रथाओं को अपराधिक क़ानूनी परिस्थितियों के बाहर स्वतंत्र रूप से बाल देखभाल संस्थाओं, कार्यस्थलों, स्कूलों और युवा समूहों जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि ये पुनर्स्थापनात्मक प्रथायें अपेक्षाकृत सूक्ष्म/छोटे स्तर (व्यक्तिगत, जोड़ों या परिवारों में) पर अधिक काम करती हैं। ऐसी कई प्रथायें किशोरों पर ध्यान केन्द्रित करती हैं, लेकिन 'हिंसात्मक' अपराधों को बहुत कम देखती हैं।

घेरे मे बैठके चर्चा करना दक्षिण एशिया की अनेक संस्थाओं द्वारा अपनाया जाने वाला एक बहुत आम तरीक़ा है। घेरा तरीक़ा अफ्रीक़ा की स्वदेशी परंपरा और आदिम संस्कृति और परंपरा से निकला है। [xcix] इसमें एक गोले में बैठ कर प्रतिभागी एक दूसरे से बात करते हुए आपस में सहानुभूति और जुड़ाव बनाते हुए यह दिखाते हैं कि सत्ता कहीं केन्द्रित नहीं है।

भारत में, इन्फ़ोल्ड प्रोएक्टिव हैल्थ ट्रस्ट, आशियाना फ़ाउन्डेशन और काउन्सिल फ़ॉर सिक्योर जस्टिस जैसी संस्थायें पुनर्स्थापनात्मक घेरे मे चर्चा [c] को बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) [ci] में लगातार सफ़लता पूर्वक इस्तेमाल कर रही हैं। भारतीय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत सीसीआई को एक ऐसी जगह के रूप में परिभाषित किया गया है जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करती हैं और इसमें आश्रय, ऑब्ज़रवेशन होम, स्पेशल होम, सुरक्षा आदि की जगह होती हैं। [cii] इन प्रक्रियाओं के प्रतिभागियों का कहना है कि इन जगहों पर उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उन्हें सम्मान दिया जा रहा है; और उन्होंने गुस्से पर नियंत्रण करना, अपनी भावनाओं को पहचानना आदि जैसे सकारात्मक सामाजिक-भावात्मक तरीक़े सीखे हैं, उन्होंने दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना और सकारात्मक संबन्ध निर्माण और मुश्किलों का हल निकालने की क्षमता दिखाई, और इस तरह से सीसीआई में हिंसा और बदमाशी के स्तर को कम किया। [ciii]

बदलावकारी न्याय/ ट्रांसफ़ॉर्मेटिव जस्टिस

बदलावकारी न्याय, क़ानूनी व्यवस्था या अन्य सरकारी संस्थानों के बाहर (और अधिकतर मामलों में, एक चुनौती के रूप में) होता है। यह हानि पर काम करने की जगह देता है और इसने जेल उन्मूलन पर काम करने वाले सामाजिक आन्दोलनों के भीतर लोकप्रियता हासिल की है। फ़िली स्टैण्ड्स अप [cv] इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं:

वैकल्पिक न्याय करने का एक तरीक़ा जो व्यक्तिगत अनुभवों और पहचानों को मानता है और राज्य के अपराधिक अन्याय व्यवस्था का प्रतिरोध करने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। बदलावकारी न्याय मानता है कि सभी प्रकार की हानि, दुर्व्यवहार और हमलों का मूल कारण दमन है। एक चलन के रूप में, यह इसलिए सभी स्तरों पर इन दमनों को संबोधित करने और इनका विरोध करने का उद्देश्य रखता है और इस अवधारणा को जवाबदेही और उपचार के हिस्से के तौर पर लेता है। [cvi]

(फ़िली स्टैण्ड अप: बदलावकारी न्याय क्या है)

जहाँ बदलावकारी न्याय के मॉडल अक्सर अपराधिक क़ानूनी प्रक्रियाओं के भीतर विकल्प के तौर पर काम करते हैं, बदलावकारी न्याय विचारधारा, पूरी व्यवस्था में कोई दख़ल दिए बिना अपराधिक क़ानूनी प्रणाली के एक पूर्ण विकल्प के तौर पर एक अलग तरह का उदाहरण और फ्रेमवर्क/ढांचे बनाती है। [cvii] बदलावकारी न्याय पर काम करने वाले इसे एक ऐसा फ्रेमवर्क नहीं मानते हैं जिसका प्रयोग किसी भेदभाव या हिंसा का मामला हो चुकने के बाद किया जाय। इसके बजाए, वे समुदाय में इन मूल्यो के अनुरूप जीवन जीते हुए संबन्ध बनाते हुए संघर्ष, नुक़सान, दुर्व्यवहार और हिंसा के मामलों को समुचित रूप से संभालने के माध्यमों से इन प्रथाओं के मूल्यों और सिद्धाँतों को साकार रूप देने में विश्वास रखते हैं।

यह सन्दर्भ पुस्तिका अनेक संस्थाओं के बारे में बात करती है जो दक्षिण एशिया के संदर्भ में बदलावकारी न्यायिक प्रथाओं को देख रही हैं या देख चुकी, लेकिन यह सिर्फ़ इतनी ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए, *ऑल्टरनेटिव जस्टिस*, [cviii] एक ऐसा संघ है जो यौनिक हानि और दुर्व्यवहार से संघर्षशीलों की अनेक और विभिन्न समुदाय आधारित प्रक्रियाओं, जो उपचार में सहायता करती हैं, तक पहुँच बनाने में सहयोग देता है। यह उनकी मदद करते हुए उन्हें, उससे जिन्होंने उनके प्रति दुर्व्यवहार किया है, ठोस जवाबदेही लेने में और उस तरह की परिस्थितियाँ बनाने में जो समुदाय के भीतर वास्तविक बदलाव को उत्पन्न कर सकें, मदद करता है। वे सीखने के बाद उसको अपने व्यवहार में लेकर आते हैं, (क) अपने जैसे व्यक्तियों को एक साथ लाकर, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करके (ख) सभी के लिए उपलब्ध संसाधनों को मिल कर बनाना; और (ग) कोई हानि या नुक़सान हो जाने की स्थिति में, घेरे मे बैठकर उपचारात्मक चर्चा, जवाबदेही की प्रक्रिया और संघर्षशील को सहयोग द्वारा समुदाय का सहयोग करना।

विकल्पों को लागू करना - चिंतायें और चुनौतियाँ

अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ बातचीत में हमने विकल्पों के क्रियान्वहन में आने वाली कुछ चुनौतियों पर बात की। एक बहुत बड़ी और वास्तविक चिंता थी कि इन विकल्पों पर ज़ोर देने से अधिकारों के हनन और जेण्डर आधारित हानि को देखने और जाँच करने की सरकारी प्रतिबद्धता में कमी आ सकती है, और इस तरह से सज़ा का डर नहीं होगा। सरकार के सहयोग और फ़ंडिंग के बिना, सुरक्षा और संरक्षण के लिए अन्तरिम उपाय करना मुश्किल होगा। [cix]

जब हम अपराधिक क़ानूनी प्रणाली के विकल्पों का अध्ययन करते हुए उनका दस्तावेज़ीकरण करते हैं तो परंपरागत समुदायिक प्रथाओं को बढ़ा-चढ़ा कर बहुत अच्छा बनाने की प्रवृत्ति और हम कैसे 'समुदाय' को परिभाषित करते हैं, इसकी आलोचना, एक बार-बार सामने आने वाली चिंता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी सामुदायिक लीडरों के व्यवहार बदलावकारी या मज़बूत करने वाले हों। वे अक्सर ही पूर्वाग्रहों और संरचनात्मक अलगावों को बढ़ावा देने का काम भी कर सकते हैं जो सत्ताधारी लोगों का पक्ष लेते हैं। कुछ को डर है कि जेण्डर आधारित हानि पर काम करने के लिए वैकल्पिक विचारधारा, मानवाधिकार के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों और व्यवहारों के साथ पूरी तरह से मिलान नहीं हो सकता है। इससे आन्दोलनों द्वारा दशकों की प्रगतिशील पैरवी के बाद क़ानूनी प्रणाली के भीतर हासिल की गई सफ़लतायें ख़तरे में पड़ जाती हैं। पुनर्स्थापनात्मक न्याय की क़ानूनी और प्रक्रियात्मक सुरक्षा की ज़रूरत पर ध्यान देते हुए सन् 2002 में, संयुक्त राष्ट्र ने अपराधिक मामलों में पुनर्स्थापनात्मक न्याय कार्यक्रम के इस्तेमाल के बुनियादी सिद्धाँत अपनाए। [cx]

सिद्धाँतों से चलन की ओर जानाः अपराधीकरण को चुनौती देना, कैसे?

नारीवादी, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय समूहों की एक बड़ी संख्या, सामाजिक चुनौतियों को देखने के लिए अपराधिक क़ानूनों पर बढ़ती हुई निर्भरता को लेकर चिंतित और सतर्क हैं।[cxi] जेण्डर आधारित हिंसा पर एक व्यापक इन्टरसेक्शनल समझ (पहले के संकीर्ण मुद्दे जैसे 'महिलाओं के विरुद्ध हिंसा' के विपरीत) सवाल उठाती है

(क) दण्डात्मक क़ानून किसकी सुरक्षा करना चाहते हैं?,
(ख) आपराधिक क़ानूनी प्रणालियों से किसे नुकसान होता है?, और
(ग) अपराधीकरण का उद्देश्य क्या है, और यह किसके हित में है?

एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने के लिए जो अपराधीकरण को चुनौती दे, हमें बात करना होगी कि विशुद्ध क़ानूनी शब्दावली के बाहर अधिकार और न्याय हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि किसी को क़ानून और क़ानूनी प्रणाली का अधिकारों की मान्यता बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, विशेषरूप से क़ानून की अर्थपूर्ण सत्ता का इस्तेमाल करते हुए। इसके बजाए, हमने अपनी बातचीत के केन्द्र में सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को रखा है और मौजूदा भेदभावपूर्ण, अलगाववादी और दण्डात्मक सरकारी व्यवस्था और संस्कृति जो असमानता को क़ानूनी दबाव से असमानता को लागू करने से भरी हुई है, के ऊपर सवाल उठाने का रास्ता प्रस्तावित किया है। यह उस विश्वास पर आधारित है कि अन्तर्निहित अन्यायपूर्ण सत्ता संरचनायें किसी नारीवादी और संपूर्ण न्याय की प्राप्ति को साकार नहीं कर सकती हैं।

एक चुनौतीपूर्ण अपराधीकरण ढाँचे को बनाने के लिए हमारे पहले क़दम के रूप में हमारी पैरवी इन सवालों से शुरु की जा सकती है:

- *आपके समुदाय में एक अपराधी की क्या छवि है? आपको क्या लगता है कि यह छवि कैसे बनाई गई है? इस छवि में भेदभाव के कौन से अलग-अलग पहलू दिखाई देते हैं?*
- *आप हानि को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या सभी हानियों को अपराध मान लेना चाहिए? कुछ विशेष हानियों को अपराध की श्रेणी में रखने के क्या मानक होने चाहिए?*
- *आपके अनुसार हानि पर काम करने के लिए किन* **सिद्धाँतों** *का सहारा लेना चाहिए? (यह सिद्धाँतों, उनके लिए जो हानि से सीधे प्रभावित हैं, समुदाय जिसमें वह हानि हुआ है, नागरिक समाज संस्थायें और सामाजिक न्याय कार्यकर्ता, क़ानूनी व्यवस्था और क़ानून पालक के लिए अलग-अलग होंगें)*
- *अलग-अलग लोगों और समुदायों के लिए न्याय का क्या मतलब है?*
- *जिसके साथ हानि हुई है, उसके लिए न्याय का क्या मतलब है?*
- *एक अलग तरह की व्यवस्था में जवाबदेही किस तरह की दिखाई देगी?*

क्रिटिकल रेज़िस्टेन्स एबोलिशनिस्ट टूलकिट् भी देखें (2016).

और अंत में कुछ विचार...

यह प्राइमर और सन्दर्भ पुस्तिका एक शुरुआती बिन्दु हैं - एक माध्यम जिससे हमारी उम्मीद है कि यह गहराई से सोचने, संवाद बनाने और ज़मीनी स्तर के काम को प्रेरित करेगा। हमने बहुत सारे सवाल उठा कर अपनी बात को समाप्त किया है और हमें आशा है कि उन्हें एक लेन्स के रूप में लेते हुए हम नुक़सानों पर अपने किए जा रहे काम को पलट कर देखेगें।[cxii] प्राइमर में दिए गए अलग-अलग उदाहरणों के साथ साथी संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विचारधारा शामिल है, सन्दर्भ पुस्तिका में एक तालिका[cxiii] दी हुई है जो बदलावकारी विचारधाराओं के और भी उदाहरणों को बताती है, जिनका इस्तेमाल हम युवाओं की शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार के अपराधीकरण के मुद्दे पर काम करते हुए कर सकते हैं।

इस प्राइमर और सन्दर्भ पुस्तिका के माध्यम से हम, जेण्डर आधारित हानि और अधिकारों के उल्लंघन के बारे में अधिकारों को मज़बूत करने वाली और ग़ैर-दण्डात्मक विचारधाराओं पर एक निडर तर्क-वितर्क और चर्चा के लिए पाठकों, एक्टिविस्टों, चिकित्सकों, और आन्दोलन निर्माताओं को आगे आने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम अपने साथियों को भी अपराधीकरण की बदलावकारी विचारधाराओं की परिकल्पना करने के लिए आमंत्रित करते हैं जिससे हम **स्वतंत्रताओं के बारे में फिर से सोच सकें, उन्हें गढ़ सकें, अधिकारों को फिर से आकार दे सकें**, और युवाओं को **अपने स्वयं का भविष्य बनाने के लिए सक्षम बना सकें।**

संदर्भ/ एण्डनोट्स

[i] इन्टरनेशनल प्लान्ड पेरेन्टहुड फ़ेडरेशन. (2016). ***फ़ुलफ़िलः गाइडेन्स डॉक्यूमेन्ट फ़ॉर द इम्प्लीमेन्टेशन ऑफ़ यंग पीपल्स् सेक्शुअल राइट्स.*** पी. 11. वर्ल्ड एसोसिएशन फ़ॉर सेक्शुअल हैल्थ एंड आरएनडब्लू मीडिया। https://www.ippf.org/sites/default/files/2016-09/Fulfil!%20Guidance%20document%20for%20the%20implementation%20of%20young%20people's%20sexual%20rights%20(IPPF-WAS).pdf

[ii] गेरिसन लेन्सडाउन व मेरी वर्नहैम. (2001). अध्याय 3: अंडरस्टैन्डिंग यंग पीपल्स् राइट्स टू डिसाइड. इन: इन्टरनेशनल प्लान्ड पेरेन्टहुड फ़ेडरेशन. ***आर प्रोटेक्शन एंड ऑटोनॉमी अपोज़िंग कॉन्सेप्ट्स? पी. 2.*** https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_right_to_decide_03.pdf.

[iii] जेण्डर आधारित हानि को समझने के लिए ***शब्दों का जाल देखें: पेज 9 पर दिया हुआ मुख्य शब्दों का विवरण.***

[iv] आहंग (पाकिस्तान), द एशियन-पेसिफ़िक रिसोर्स व रिसर्च सेन्टर फ़ॉर विमेन, एआरआरओडब्लू (एशिया-पेसिफ़िक) बंधु वेल्फ़ेयर सोसाइटी (बांग्लादेश), हिडेन पॉकेट्स (भारत), द वाईपी फ़ाउन्डेशन (भारत), यूथ एडवेकेसी नेटवर्क ऑफ़ श्रीलंका, वाईएएनएसएल (श्रीलंका), वाईएडब्लूए (नेपाल).

[v] युनाइटेड नेशन्स् पॉपुलेशन फ़ंड. (2021). **माई बॉडी इज़ माई ओनः क्लेमिंग द राइट्स टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ़ डिटरमिनेशन.** स्टेट ऑफ़ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021, यूएनएफ़पीए. पीपी. 7 व 8. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWP2021_Report_-_EN_web.3.21_0.pdf

[vi] एस. लॉरेल वेल्डन एंड माला ह्टन. (2013, 1 जुलाई). फ़ेमिनिस्ट मोबिलाइज़ेशन एंड प्रोग्सेसिव पॉलिसी चेंज: वाय गवरमेन्ट्स टेक एक्शन टू कॉम्बैट वॉयलेन्स एगेन्स्ट विमेन. **जेण्डर & डिवेलेपमेन्ट.** 21, नं. 2 : 245.

[vii] लम्बी चर्चा के लिए, **बाल अधिकार संधि में पेज नं. 22 पर युवा एक अधिकार धारक के रूप में: 'विकसित होती क्षमतायें'** देखें।

[viii] राज्वी देसाई. (2019, 29 मार्च). फ़्रॉम रिचेस टू रैग्स्: द इवौल्यूशन ऑफ़ मेन्स्ट्रुरल टैबूज़ इन इण्डिया. **द स्वैडल.** https://theswaddle.com/from-riches-to-rags-the-evolution-of-menstrual-taboos-in-india/

[ix] एलिस एम. मिलर, तारा ज़िकोविक के साथ. (2019). अध्याय 2: सिस्मिक शिफ़्ट्स: हाउ प्रॉसिक्यूशन बिकेम द गो - टू टूल टू वैलिडेट राइट्स. एलिस एम. मिलर और मिन्डी जेन रोज़मन में (ईडीएस.), **बियॉन्ड वर्च्यु एंड वाइसः रिथिंकिंग ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल लॉज़.** (पी. 47). युनिवर्सिटी ऑफ़ पेनसिल्वेनिया प्रेस

[x] 'जेण्डर आधारित हानि' शब्दावली को समझने के लिए, **शब्दों का जाल देखें: पेज 9 पर दिया हुआ मुख्य शब्दों का विवरण.**

[xi] कोट्स ए व एलॉटे पी. (2023). ग्लोबल हैल्थ, सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हैल्थ एंड राइट्स, एंड जेण्डर: स्क्वायर पेग्स, राउन्ड होल्स. **बीएमजे ग्लोबल हैल्थ.** 8: ई011710.

[xii] आरईएसयूआरजे. (2020, 10 फ़रवरी), **बियॉन्ड क्रिमिनलाइज़ेशन - ऐ फ़ेमिनिस्ट क्वेश्चनिंग ऑफ़ क्रिमिनल जस्टिस इन्टरवेन्शन्स टू एडरेस सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स वॉयलेशन.**

[xiii] लॉरेन्स एम. फ़्रीडमेन. (1975) **द लीगल सिस्टमः ए सोशल साइन्स परस्पेक्टिव.** रसेल सेज फ़ाउन्डेशन. पीपी. 14-16.

[xiv] लॉरेन्स एम. फ़्रीडमेन. (1975) **द लीगल सिस्टमः ए सोशल साइन्स परस्पेक्टिव.** रसेल सेज फ़ाउन्डेशन. पीपी. 14-16.

[xv] अपराध शस्त्र का एक बड़ा हिस्सा 'अपराधिता' को उन लोगों के पैटर्न और व्यवहार विशेषताओं की तरह बताता है जो अपराध करते हैं (आमतौर पर इसे 'अपराधी विशेषताओं' के तौर पर जाना जाता है)। अपराधिता की अवधारणा की अपराधियों की नस्ल, जेण्डर, जाति, वर्ग, धर्म, यौनिक रुझान आदि के आधार पर बनाई गई स्थाई श्रेणियों के बारे में भेदभावपूर्ण रूढ़िवादिता को बनाए रखने के लिए आलोचना की जाती है।

[xvi] ओएचसीएचआर कमीशन्ड रिपोर्ट. (2013). **जेण्डर स्टीरियोटाइपिंग एज़ ए ह्युमन राइट्स वॉयलेशन.** https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/2013-Gender-Stereotyping-as-HR-Violation.docx

[xvii] इन्टरसेक्शनेलिटी शब्द को किम्बर्ली क्रेन्शॉ ने गढ़ा। इसकी अधिक समझ के लिए किम्बर्ली क्रेन्शॉ को देखें. (1989). डिमार्जिनालाइज़िंग द इन्टरसेक्शन ऑफ़ रेस एंड सेक्स: ए ब्लैक फ़ेमिनिस्ट क्रिटीक ऑफ़ एंटीडिस्क्रीमिनेशन डॉक्ट्राइन, फ़ेमिनिस्ट थ्योरी एंड एंटीरेसिस्ट पॉलिटिक्स. **युनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो लीगल फ़ोरम.** आईएसएस. 1, आर्टिकल 8; किम्बर्ली विलियम्स क्रेन्शॉ. (1994). मैपिंग द मार्जिन्स: इन्टरसेक्शनेलिटी, आईडेन्डिटी पॉलिटिक्स, एंड वॉयलेन्स अगेन्स्ट विमेन ऑफ़ कलर, इन:

मारथा एल्बर्टसन फ़िन्मेन एंड रिक्ज़ेन मीकीट्यूक (ईडीएस.) **द पब्लिक नेचर ऑफ़ प्राइवेट वॉयलेन्स.** पी. 93-118. रॉटलेज.

[xviii] देखें, उदाहरण के लिए, कैस आर. सन्सटीन (1996, मई). ऑन द एक्सप्रेसिव फ़ंक्शन ऑफ़ लॉ. **युनिवर्सिटी ऑफ़ पेनसिल्वेनिया लॉ रिव्यु.** वॉल. 144 (5), 2021-2053.पी. 2025. उपलब्ध है एसएसआरएन: https://ssrn.com/abstract=2622561; इन्टरनेशनल कमीशन ऑफ़ ज्यूरिस्ट्स. (2023, मार्च) **सेक्स, प्रजनन, नशा, एचआईवी, बेघर होना और ग़रीबी से जुड़े आचरण पर प्रतिबंध लगाने वाले अपराधिक क़ानून का मानवाधिकार आधारित विचारधारा के लिए 8 मार्च सिद्धाँत** https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2023/03/8-MARCH-Principles-FINAL-printer-version-1-MARCH-2023.pdf

[xix] कैस आर. सन्सटीन (1996, मई). ऑन द एस्प्रैसिव फ़ंक्शन ऑफ़ लॉ. **युनिवर्सिटी ऑफ़ पेनसिल्वेनिया लॉ रिव्यु.** वॉल.144(5), 2021-2053. पी. 2026. उपलब्ध है एसएसआरएन: https://ssrn.com/abstract=2622561

[xx] जोल फ़ीनबर्ग. (1965, जुलाई). द एस्प्रैसिव फ़ंक्शन ऑफ़ पनिश्मेन्ट. **द मोनिस्ट.** वॉल. 49, नं.3, फ़िलोसिफ़ी ऑफ़ लॉ. पीपी. 397-423. ऑक्सफ़ोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस

[xxi] एम्नेस्टी इन्टरनेशनल (2021). **डज़ द डैथ पेनल्टी डिटर क्राइम? गेटिंग द फ़ैक्ट्स स्ट्रेट.** https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/act500062008en.pdf

[xxii] कैस आर. सन्सटीन (1996, मई). ऑन द एस्प्रैसिव फ़ंक्शन ऑफ़ लॉ. **युनिवर्सिटी ऑफ़ पेनसिल्वेनिया लॉ रिव्यु.** वॉल.144(5), 2021-2053. https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3526&context=penn_law_review

[xxiii] एम्नेस्टी इन्टरनेशनल (2018). **बॉडी पॉलिटिक्सः ऐ प्राइमर ऑन क्रिमिनालाइज़ेशन ऑफ़ सेक्शुएलिटी एंड रिप्रोडक्शन.** https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/7763/2018/en/

[xxiv] द ह्यूमन डिग्निटी ट्रस्ट. **इन्जस्टिस एक्सपोज़्ड: द क्रिमिनालाइज़ेशन ऑफ़ ट्रान्सजेण्डर पीपल एंड इट्स इम्पैक्ट.** पीपी.13–14. https://www.humandignitytrust.org/wp-content/uploads/resources/Injustice-Exposed-the-criminsalisation-of-trans-people.pdf

[xxv] ह्यूमन राइट्स वॉच. **"ऑल फ़िंगर्स आर नॉट द सेम": डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउन्ड्स ऑफ़ सेक्शुअल ओरिऐन्टेशन एंड जेण्डर आईडेन्टिटी इन श्रीलंका.** पी.16.

[xxvi] एम्नेस्टी इन्टरनेशनल (2018). **बॉडी पॉलिटिक्सः ऐ प्राइमर ऑन क्रिमिनालाइज़ेशन ऑफ़ सेक्शुएलिटी एंड रिप्रोडक्शन.** पी. 10. https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/7763/2018/en/.

[xxvii] युनाइटेड नेशन्स जनरल एसेम्बली. (2019). **प्रोटेक्शन अगेन्स्ट वॉयलेन्स एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्शुअल ओरिएन्टेशन एंड जेण्डर आईडेन्टिटी.** सेक्रेटरी जनरल का नोट. A/74/181. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/220/72/PDF/N1922072.pdf?OpenElement

[xxviii] रचना मुद्राबोइना, समेरा जागीरदार व फ़िलिप सी. फ़िलिप. (2019, 5 अगस्त). ट्रान्सजेण्डर व्यक्तियों (के अधिकारों का संरक्षण) विधेयक की आलोचना. **फ़ेमिनिज़म इन इण्डिया.** https://feminisminindia.com/2019/08/05/critique-trans-gender-persons-protection-of-rights-bill-2019/; तृप्ती टण्डन व आरूषी महाजन. (2019, 4 दिसम्बर) रिक्लेमिंग राइट्स' ट्रान्सजेण्डर पर्सन्स बिल एंड बियॉन्ड. **द लीफ़लेट.** https://www.theleaflet.in/reclaiming-rights-transgender-persons-bill-and-beyond/

[xxix] यूएनएफ़पीए. (2021, April 14). **शारीरिक स्वायत्ता क्या है?** https://india.unfpa.org/en/video/what-bodily-autonomy

[xxx] कार्मेल शलेव. (2000). राइट्स टू सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हैल्थ: द आईसीपीडी एंड द कन्वेन्शन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ़ ऑल फ़ॉर्मस् ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट विमेन. **हैल्थ एंड ह्यूमन राइट्स 4, नं. 2**: 46.

[xxxi] अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार को मान्यता देते है, इसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार पर अन्तर्राष्ट्रीय संधि (अनुच्छेद 1,6,7,9,10,17); आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर अन्तर्राष्ट्रीय संधि (अनुच्छेद 6, 7, 11 व 12); महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का समापन संधि; बाल अधिकार संधि और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संधि.

[xxxii] यूएनडीपी व एपीटीएन. (2017). **लीगल जेण्डर रिकग्नीशनः ए मल्टी-कन्ट्री लीगल एंड पॉलिसी रिव्यु इन एशिया.** पी.42.

[xxxiii] स्वास्थ्य के अधिकार में अपने सभी रूपों में हर स्तर पर नीचे दिए गए आवश्यक तत्व होते हैं: (क) उपलब्धता; (ख) पहुँच; (ग) स्वीकार्यता; (घ) गुणवत्ता. इसे एएएक्यू मानक कहा जाता है जो मानवाधिकार के यूएन हाई कमीशनर के ऑफ़िस द्वारा बनाया गया. (2000). सीईएससीआर के जनरल कमेन्ट नं. 14: स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानकों का अधिकार (अनुच्छेद 12). ई/सी.12/2000/4. पैरा 12.

[xxxiv] एम्नेस्टी इन्टरनेशनल (2018, 12 मार्च). **बॉडी पॉलिटिक्सः ऐ प्राइमर ऑन क्रिमिनालाइज़ेशन ऑफ़ सेक्शुएलिटी एंड रिप्रोडक्शन.** https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/7763/2018/en/; बंसारी कामदार. (2021, 15 जून). पुअर एक्सेस टू सेफ़ अबार्शन इज़ किलिंग साउथ एशियन विमेन. **द डिप्लोमैट** https://thediplomat.com/2021/06/poor-access-to-safe-abortions-is-killing-south-asian-women/

[xxxv] गेल एस. रुबिन. (2006). थिंकिंग सेक्स: नोट्स फ़ॉर ए रेडिकल थ्योरी ऑफ़ द पॉलिटिक्स ऑफ़ सेक्शुऐलिटी. इन रिचर्ड पार्कर एंड पीटर एग्लेटन (ईडीएस,). **कल्चर, सोसाइटी एंड सेक्शुएलिटीः ऐ रीडर.** दूसरा अंक. पी.166. रॉटलेज.

[xxxvi] युनीसेफ़. (1989). **बाल अधिकार संधि.** https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

[xxxvii] एम्नेस्टी इन्टरनेशनल (2019). **डिवेलपिंग प्रिन्सिपल्स टू एडरेस द डिटरमेन्टल इम्पेक्ट ऑन हैल्थ, इक्वैलिटी एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ़ क्रिमिनालाइज़ेशन विद ए फ़ोकस ऑन सेलेक्ट कॅन्डक्ट इन द एरियाज़ ऑफ़ सेक्शुएलिटी, रिप्रोडक्शन, ड्रग यूज़, एंड एचआईवी.** https://www.amnesty.org/en/documents/ior10/0164/2019/en/

[xxxviii] पार्टनर्स फ़ॉर लॉ इन डिवेलेप्मेन्ट और तुलीर. (2019). **किशोर यौनिकता और क़ानून पर दक्षिणी क्षेत्र का सम्मेलन.** उपलब्ध है: https://pldindia.org/research/publications/gender-and-sexuality/

[xxxix] रेनू अधलखा, जेनेट प्राइस व शीरीन हैदरी को देखें. (2017). विकलांगता और यौनिकता: यौनिक और प्रजनन अधिकार मांगना. **रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स.** 25:50, पी.9-4; निधी गोयल. (2017). यौनिक अधिकारों को नकारना: भारत में दृष्टिबाधित महिलाओं के जीवन से कुछ अनुभव. **रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स.** 25:50, पी.138-146.

[xl] भारत के लिए बच्चों का यौनिक अपराधों से संरक्षण क़ानून (पॉक्सो) की धारा 2(घ); भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375 देखें. नेपाल के लिए, मुलुकी अपराध (संहिता) क़ानून, 2074 (2017) की धारा 219 देखें।

[xli] बांग्लोश के लिए, बांग्लादेश अपराध संहिता, 1860 की धारा 375 के अनुसार, 14 वर्ष की कम उम्र के व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की यौनिक गतिविधी को बलात्कार माना जाएगा, जबतक कि वह व्यक्ति अपराधकर्ता की पत्नी ना हो, पत्नी होने की दशा में सहमति की उम्र 13 है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा को कम करने के अधिनियम, 2000, जो अन्य क़ानूनों पर हावी है, के अनुसार सहमति की उम्र 16 है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375(ङ.) देखें।

[xlii] श्रीलंका दण्ड संहिता, 1883 की धारा 363(ङ.) देखें।

[xliii] श्रीलंका दण्ड संहिता, 1883 की धारा 364 देखें।

[xliv] यूएनएफ़पीए, यूएनएड्स, और यूनेस्को. (2021). **माई बॉडी इज़ माई बॉडी, माई लाइफ़ इज़ माई लाइफ़.** https://asiapacific.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/unfpa_my_body_is_my_body_my_life_is_my_life.pdf

[xlv] यूएनएफ़पीए, यूएनएड्स, और यूनेस्को.

[xlvi] यूएनएफ़पीए देखें, 'कॉम्प्रिहेन्सिव सेक्शुएलिटी एजुकेशन', 17 अक्टूबर 2021 को देखा गया, https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education.

[xlvii] सेक्शुअल राइट्स इनिशिएटिव्स्. (2013). **एनालिसिस ऑफ़ द लैंग्वेज ऑफ़ चाइल्ड, अर्ली एंड फ़ोर्सड मैरेज.** https://www.sexualrightsinitiative.org/sites/default/files/resources/files/2019-04/SRI-Analysis-of-the-Language-of-Child-Early-and-Forced-Marriages-Sep2013_0.pdf

[xlviii] सुज़ैन पेटरोनी, मधुमिता दास, और सूज़न एम सॉएर. (2018, 1 अप्रैल). प्रोटेक्शन वर्सेज़ राइट्स: ऐज ऑफ़ मैरेज वर्सेस ऐज ऑफ़ सेक्शुअल कन्सेन्ट. **द लैन्सेट चाइल्ड एंड एडोलेसेन्ट हैल्थ 3**, नं. 4: 274–80.

[xlix] सुज़ैन पेटरोनी, मधुमिता दास, और सूज़न एम सॉएर. (2018, 1 अप्रैल). प्रोटेक्शन वर्सेज़ राइट्स: ऐज ऑफ़ मैरेज वर्सेस ऐज ऑफ़ सेक्शुअल कन्सेन्ट. **द लैन्सेट चाइल्ड एंड एडोलेसेन्ट हैल्थ 3**, नं. 4: 274–80.

[l] पार्टनर्स फ़ॉर लॉ इन डिवेलेप्मेन्ट देखें. (2020, 25 मार्च). **वाए गर्ल्स रन अवे टू मैरीः अडोलेसेन्ट रिएलिटीज़ एंड सोशो-लीगल रिस्पॉन्सेस इन इण्डिया.** उपलब्ध है: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3560854

[li] उदाहरण के लिए देखें, सीएनएन (2022, 29 दिसम्बर). पाकिस्तानी कोर्ट ने पीड़ित से शादी करने के 'समझौते' के बाद बलात्कार के अपराधी को आज़ाद कर दिया. https://edition.cnn.com/2022/12/29/asia/pakistan-convicted-rapist-freed-marry-victim-intl-hnk/index.html; हारून जन्जुआ. (2022, 30 दिसम्बर). पाकिस्तानी अदालत द्वारा बलात्कारी के पीड़ित से शादी करने पर राज़ी होने पर उसे छोड़ दिए जाने पर रोष. https://www.theguardian.com/global-development/2022/dec/30/pakistan-court-frees-rapist-after-he-agrees-deal-to-marry-his-victim

[lii] सेन्टर फ़ॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स में देखें. (2018). एन्डिंग इम्प्यूनिटी फ़ॉर चाइल्ड मैरेज इन बांग्लादेश: नॉर्मेटिव एंड इम्प्लीमेन्टेशन गैप्स् (पॉलिसी ब्रीफ़). पीपी. 13-16. https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/64829505_ending_impunity_for_child_marriage_bangladesh_2018_final-web.pdf

[liii] पूर्वी गुप्ता, (2020, 25 अगस्त) कैसे भारत के बलात्कार पीड़ित बलात्कारी से शादी करने पर मजबूर हो जाते हैं। आर्टिकल 14. https://article-14.com/post/how-india-s-rape-survivors-end-up-marrying-their-rapists

[liv] इक्वेलिटी नॉउ, डिग्निटी अलायन्स इन्टरनेशनल. (2021). **सेक्शुअल वॉयलेन्स इन साउथ एशियाः लीगल एंड अदर बैरियर्स टू जस्टिस फ़ॉर सर्वाइवर्स.** पी. 46. https://equalitynow.storage.googleapis.com/wp-content/uploads/2021/04/20043321/Sexual_Violence_in_South_Asia_Legal_and_other_Barriers_to_Justice_for_Survivors_-_Equality_Now_-_2021_1.pdf

[lv] देखें एन्फ़ोल्ड प्रोएक्टिव हैल्थ ट्रस्ट व यूनिसेफ़ (2021). *गर्ल्स इन्वॉल्वड इन 'रोमैन्टिक केसेज़ एंड द जस्टिस सिस्टम - ए स्टडी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियन्स ऑफ़ गर्ल्स इन चाइल्ड केयर इन्स्टीट्यूशन्स इन बिहार.* सेक्शन 12.1, 12.4; देखें एस.एम.एच.एम.के. सेनानायके. (2017). रीज़न्स ऑफ़ फ़ीमेल चिल्ड्रेन फ़ॉर एलोप विद ब्वॉयफ्रेन्ड्स इन अनुराधापुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ श्रीलंका. **मेडिको लीगल जर्नल ऑफ़ श्रीलंका**. 5, नं. 1: 9.

[lvi] देखें प्रियदर्शनी थंगाराजा और पोन्नी अरासू. (2011). क्वीयर विमेन एंड द लॉ इन इण्डिया. अरविंद नाराएन और अलोक गुप्ता (ईडीएस्.), में लॉ लाइक लव: क्वीयर परस्पेक्टिव ऑन लॉ. योडा प्रेस. पीपी. 325-337; बीना फ़र्नान्डिज़ और गोमती एन.बी. (2003). **द नेचर ऑफ़ वॉयलेन्स फ़ेस्ड बाई लेस्बियन विमेन इन इण्डिया**. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़.

[lvii] देखें पोन्नी अरासू और प्रिया थंगाराजा. (2012). क्वीयर विमेन एंड हीबस कॉर्पस इन इण्डिया: द लव ब्लाइन्ड्स द कोर्ट. **इण्डियन जर्नल ऑफ़ जेण्डर स्टडीज़.** 19(3) 413. पेज. 4-6, 8-17.

[lviii] 20वीं शताब्दी के अंत तक, बचपन का एक पश्चिमी प्रधानता वाला विचार - जन्म (या गर्भधारण) के उम्र 7 से 18 के मापदण्डों द्वारा चित्रित - एक अन्तर्राष्ट्रीय विचार बन गया. एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों को अलग करने के लिए, यूरोपियन और अमेरिकनों द्वारा दिया गया बचपन का विचार इसका पूरक बन गया कि बच्चों को कैसे देखा जाना चाहिए. बाल अधिकार पैरोकारों द्वारा बाल शोषण और उनकी उपेक्षा की चिंता (शताब्दी में बहुत अधिक लेकिन उससे बहुत पहले भी) को सामने रखे जाने के बाद सरकार ने क़दम उठाया। बच्चों के कल्याण की नई चिंताओं ने इस विचार को मान्यता देते हुए संस्थागत किया कि बचपन, जीवन का एक ऐसा संवेदनशील दौर है जब बच्चों को सुरक्षा, संरचना और मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। देखें लिन्डी, आर. (2014). द ग्लोब्लाइज़ेशन ऑफ़ चाइल्डहुड: द इन्टरनेशनल डिफ़्यूज़न ऑफ़ नार्म्स एंड लॉ अगेन्स्ट चाइल्ड डैथ पेनल्टी. **यूरोपियन जर्नल ऑफ़ इन्टरनेशनल रिलेशन्स.** 20(2), 544–568. https://doi.org/10.1177/1354066113475464

[lix] द सीईएफ़एमयू एंड सेक्शुएलिटी वर्किंग ग्रुप. (2022). **वॉट काउन्ट ऐज़ सक्सेज़ इन चाइल्ड मैरेज इन्टरवेन्शन्स?** उम्र, अस्तित्व, और बदलाव को मापते हुए जो मायने रखता है, पर वेबिनार से मुख्य सीख. https://acr.ippf.org/sites/amr/files/2022-03/Key-Takeaways_ECFM-2022_English.pdf

[lx] देखें अमेरिकन ज्विइश वर्ल्ड सर्विस. (2023). **सीईएफ़एमयू को समझनाः फ़्रॉम ऐज टू एजेन्सी** https://ajws.org/our-impact/measuring-success/research-early-child-marriage/understanding-cefm-from-age-to-agency/

[lxi] इन्टरनेशनल प्लान्ड पेरेन्टहुड फ़ेडरेशन. (2016). **फ़ुल्फ़िल: गाइडेन्स डॉक्यूमेन्ट फ़ॉर द इम्प्लीमेन्टेशन ऑफ़ यंग पीपल्स सेक्शुअल राइट्स.** वर्ल्ड एसोसिएशन फ़ॉर सेक्शुअल हैल्थ एंड आरएनडब्लू मीडिया. पी. 11. https://www.ippf.org/sites/default/files/2016-09/Fulfil!%20Guidance%20document%20for%20the%20implementation%20of%20young%20people's%20sexual%20rights%20(IPPF-WAS).pdf

[lxii] गेरिसन लैन्सडाउन और मेरी वर्नहैम. (2021). अध्याय 3: अन्डरस्टैन्डिंग यंग पीपल्स राइट टू डिसाइड. इन: इन्टरनेशनल प्लान्ड पेरेन्टहुड फ़ेडरेशन. **आर प्रोटेक्शन एंड ऑटोनॉमी अपोज़िंग कॉन्सेप्ट्स?** पी. 2. https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_right_to_decide_03.pdf

[lxiii] यौनिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 की धारा 19(1) को देखें और उसे धारा 21(1) के साथ पढ़ें. धारा 19(1) कहती है कि 'भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में दिए गए किसी भी प्रावधान के बावजूद, कोई भी व्यक्ति (इसमें बच्चा भी शामिल है) जिसे यह डर है कि इस क़ानून के तहत कोई अपराध होने वाला है या उसे यह जानकारी है कि ऐसा कोई अपराध हुआ है, वह इसकी जानकारी देगा, (क) विशेष किशोर पुलिस यूनिट को; या (ख) स्थानीय पुलिस को। (2) उपधारा (1) के तहत दी गई सभी रिपोर्ट - (क) प्रवेश संख्या के रूप में लेते हुए लिखित रूप से दर्ज की जाएगी; (ख) जानकारी देने वाले को पढ़ कर सुनाई जाएगी; (ग) पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली बुक में लिखी जाएगी।' धारा 21(1) कहती है कि 'कोई भी व्यक्ति, जो धारा 19 की उपधारा (/) या धारा 20 के तहत किसी अपराध के होने की जानकारी नहीं देता है या जो धारा 19 की उपधारा (2) के तहत उस अपराध को दर्ज नहीं कराता है तो उसे 6 महीने तक के कारावास का दण्ड या जुर्माना या दोनों ही दण्ड दिए जाएगें।' एक विस्तृत विश्लेषण के लिए, देखें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इण्डिया युनिवर्सिटी, बैंगलौर. (2018, 15 जून). ऐन एनालिसिस ऑफ़ मैन्डेटरी रिपोर्टिंग अन्डर द पॉक्सो एक्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशन्स ऑन द राइट्स ऑफ़ चिल्ड्रेन, सेन्टर फ़ॉर चाइल्ड एंड द लॉ. https://fem-

inistlawarchives.pldindia.org/wp-content/uploads/Mandatory-Reporting-Paper-CCL-NLSIU.pdf

[lxiv] एफ़एवाईए स्कूलों के बाहर समग्र यौनिकता शिक्षा के सत्र लेकर शर्म से परे और अधिकारों को मज़बूत करने वाली एसआरएचआर जानकारी देती है। द वाईपी फ़ाउन्डेशन. **फ़ेमिनिस्ट एंड अडोलेसेन्ट यूथ-लेड एक्शन.** 15 नवम्बर 2021 को देखा गया, https://theypfoundation.org/programmes/faya/; डब्लूएचओ द्वारा किए गए किशोर प्रजनन और यौनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (अर्श) और आरकेएसके के कार्यक्रम की एक त्वरित समीक्षा ने बताया कि रिपोर्टिंग की बाध्यता और अल्पवयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने यौन संबन्धों के लिए छूट ना होने से, सेवा प्रदाताओं में एक भ्रम सा बन जाता है जो 'कुछ राज्यों में युवाओं को एसआरएच सेवाये देने से इंकार कर देते हैं'। अल्का बरुआ, ईटी.एएल, (2020). अडोलेसेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया: ए रैपिड रिव्यु. **रिप्रोडक्शन हैल्थ.** 17, 87. https://doi.org/10.1186/s12978-020-00929-4

[lxv] पाकिस्तान के बाल विवाह प्रतिबंध, क़ानून, 1929 के तहत, लड़कों और लड़कियों के लिए शादी की क़ानूनी उम्र 18 और 16 वर्ष है. अप्रैल 2014 में, सिंध विधानसभा ने सिंध बाल विवाह प्रतिबंध, 2013 अपनाया, जिसने लड़कों और लड़कियों दोनों ही के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दी.

[lxvi] देखें सुज़ैन पेटरोनी, मधुमिता दास और सुज़न एम सॉएर. (2018, 1 अप्रैल). प्रोटेक्शन वर्सेस राइट्स: ऐज ऑफ़ मैरेज वर्सेस ऐज ऑफ़ सेक्शुअल कन्सेन्ट. द लैन्सेट चाइल्ड एंड अडोलेसेन्ट हैल्थ. 3, नं. 4: 274-80; पैरा 27 व 38; ऑफ़िस ऑफ़ द यूएन हाई कमीशनर फ़ॉर ह्यूमन राइट्स. (2023, 2 फ़रवरी). ऐडवर्स इम्पैक्ट ऑफ़ फ़ोर्सड मैरेज ऑन द फ़ुल एंड इफ़ैक्टिव इन्जॉयमेन्ट ऑफ़ ऑल ह्यूमन राइट्स बाई ऑल विमेन एंड गर्ल्स. ह्यूमन राइट्स काउन्सिल ए/एचआरसी/52/50

[lxvii] वाईयूडब्लूए. (2021). **सेक्शुएलिटी एजुकेशन करीकुलम ऑफ़ नेपाल (यौनिकता शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी मार्गदर्शन के अनुसार)**

[lxviii] हिडेन पॉकेट्स कलैक्टिव. **अबार्शन इज़ केयर** https://soundcloud.com/hidden-pockets/sets/abortion-is-care.

[lxix] अपर्णा चंद्रा, मृणाल सतीश, श्रेया श्री और मिनी सक्सेना. (2021). **लीगल बैरियर्स टू एक्सेसिंग सेफ़ अबार्शन सर्विसेज़ इन इण्डियाः ऐ फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग स्टडी.** सेन्टर फ़ॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स. https://reproductiverights.org/wp-content/uploads/2021/08/Legal-Barriers-to-Accessing-Safe-Abortion-Services-in-India_Final-for-upload.pdf

[lxx] अपर्णा चंद्रा, मृणाल सतीश, श्रेया श्री और मिनी सक्सेना. (2021). **लीगल बैरियर्स टू एक्सेसिंग सेफ़ अबार्शन सर्विसेज़ इन इण्डियाः ऐ फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग स्टडी.** सेन्टर फ़ॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स. https://reproductiverights.org/wp-content/uploads/2021/08/Legal-Barriers-to-Accessing-Safe-Abortion-Services-in-India_Final-for-upload.pdf

[lxxi] बाल अधिकार कमेटी. (2016). **किशोरावस्था के दौरान बाल अधिकारों के लागू करने पर सामान्य टिप्पणी 20**. https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-20-2016-implementation-rights

[lxxii] युनिसेफ़. (1989). **बाल अधिकार संधि**. https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

[lxxiii] संयुक्त राष्ट्र. (18 अप्रैल 2011) बच्चों के सभी प्रकार की हिंसा से मुक्ति का अधिकार पर सामान्य टिप्पणी नं. 13 (2011). **बाल अधिकार संधि.** सीआरसी/सी/जीसी/13. पैरा 61. https://www.refworld.org/docid/4e6da4922.html

[lxxiv] संयुक्त राष्ट्र. (20 सितम्बर, 2006). शुरुआती बचपन में बाल अधिकारों को लागू करना पर सामान्य टिप्पणी नं. 7 (2007). **बाल अधिकार संधि.** सीआरसी/सी/जीसी/रिव.1. पैरा 17. https://www.refworld.org/docid/460bc5a62.html

[lxxv] देखें संयुक्त राष्ट्र. (2017). **फ़ैक्ट शीटः इन्टरसेक्स.** एलजीबीटी समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र. https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/UNFE-Intersex.pdf; संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउन्सिल. (2016). **अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या असम्मानजनक व्यवहार या दण्ड पर विशेष रिपोर्टकर्ता की रिपोर्ट.** ए/एचआरसी/31/57. पीपी. 13-14. वेबसाइट: documents-dds-ny.un.org/ doc/UNDOC/GEN/G16/000/97/ PDF/G1600097.pdf?OpenElement, 18 नबम्बर को देखा गया; संयुक्त राष्ट्र. (2019). **इन्टरसेक्स व्यक्तियों के विरुद्ध मानवाधिकार हनन पर बैकग्राउन्ड नोट.** संयुक्त राष्ट्र हाई कमीशनर का ऑफ़िस. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/BackgroundNoteHumanRightsViolationsagainstIntersexPeople.pdf

[lxxvi] गेरिसन लैन्सडाउन और मेरी वर्नहैम. (2012). अध्याय 3: आर प्रोटेक्शन एंड ऑटोनॉमी अपोज़िंग कॉन्सेप्ट? इन इन्टरनेशनल प्लान्ड पेरेन्टहुड फ़ेडरेशन, **अन्डरस्टैन्डिंग यंग पीपल्स राइट्स टू डिसाइड.** पी.5. https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_right_to_decide_03.pdf.

[lxxvii] फ़ायर (फ़ेमिनिस्ट इन्क्वाएरीज़ इन्टू राइट्स एंड इक्वैलिटी) पाँच संस्थाओं का एक संघ है: पीएलडी - पार्टनर्स फ़ॉर लॉ इन डिवेलेप्मेन्ट (इण्डिया). डब्लूओआरएसी, नेपाल (नेपाल), बांग्लादेश लीगल ऐड एंड सर्विस ट्रस्ट - ब्लास्ट (बांग्लादेश), सोशल साइन्टिस्ट्स एसोसिएशन (श्रीलंका) और आईडब्लूआरएडब्लू एशिया पेसिफ़िक (मलेशिया).

lxxviii सीईएफ़एमयू और सेक्शुएलिटी वर्किंग ग्रुप और सहयोगी: आहंग, अमेरिकन ज्विइश वर्ल्ड सर्विस (एजेडब्लूएस), केयर, क्रिया, ईएमपावर, इन्जेण्डरहैल्थ, गर्ल्स फ़र्स्ट फ़ंड, गर्ल्स नॉट ब्राइड्स: द ग्लोबल पार्टनरशिप टू एन्ड चाइल्ड मैरेज, ग्लोबल फ़ंड फ़ॉर विमेन, ग्रीनीवकर्स, इन्टरनेशनल सेन्टर फ़ॉर रिसर्च ऑन विमेन (आईसीआरडब्लू), फ़ौसफ़ेमिनिस्ता, इन्टरनेशनल प्लान्ड पेरेन्टहुड फ़ेडरेशन (आईपीपीएफ़), एमएडीआरई, निरंतर ट्रस्ट, प्लान इन्टरनेशनल, पॉपुलेशन काउन्सिल, प्रोमुन्डो-युएस, द समिट फ़ेडरेशन, द वाईपी फ़ाउन्डेशन, यूएनएफ़पीए, यूनीसेफ़. दस्तावेज़ के अंतिम संपादन के लिए कार्यकारी समूह ज़िम्मेदार है।

lxxix इन्टरनेशनल कमीशन ऑफ़ ज्यूरिस्ट्स. (8 मार्च, 2023). **सेक्स, प्रजनन, नशा, एचआईवी, बेघर होना और ग़रीबी से जुड़े आचरण पर प्रतिबंध लगाने वाले अपराधिक क़ानून का मानवाधिकार आधारित विचारधारा के लिए 8 मार्च सिद्धाँत** https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2023/03/8-MARCH-Principles-FINAL-printer-version-1-MARCH-2023.pdf

lxxx ऐम्नेस्टी इन्टरनेशनल. (12 मार्च, 2018). **'बॉडी पॉलिटिक्सः ए प्राइमर ऑन क्रिमिनालाइज़ेशन ऑफ़ सेक्शुएलिटी एंड रिप्रोडक्शन.'** https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/7763/2018/en/

lxxxi नारी अदालत एक अनोखा प्रयास है जो महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा और अन्याय की सामुदायिक प्रतिक्रिया के रूप में शुरु हुआ। यह भारतीय सरकार द्वारा शुरु किए गए महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम महिला सामाख्या के लागू करने के साथ आया। यह कार्यक्रम भारत के तीन राज्यों, उत्तर प्रदेश (यू.पी.), गुजरात और कर्नाटक में शुरु किया गया। देखें मंजू अग्रवाल और काकुल हई. (1 जनवरी, 2016). महिला अदालतें: महिलाओं के लिए एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था. टाटा इंस्टिट्यूट फ़ॉर सोशल साइंसेज़. **द इण्डियन जर्नल ऑफ़ सोशल वर्क.** वाल्यूम 77, अंक 1. https://journals.tiss.edu/ijsw/index.php/ijsw/article/viewFile/122/121

lxxxii न्याय विभाग. **ग्राम न्यायालय. क़ानून व न्याय मंत्रालय के विभाग,** भारत सरकार. 16 फ़रवरी 2022 को देखा गया, https://doj.gov.in/gn/introduction.

lxxxiii जिरगा, आदिवासी न्याय व्यवस्था का एक पारंपरिक रूप है, जिसका प्रचलन पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान में रहने वाले पख़्तुन सजातीय समूह में है; अस्मा हामिद ईटी एएल., (22 मार्च, 2021). **द डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन रिव्युः पाकिस्तान.** द लॉ रिव्युस् (ब्लॉग). https://thelawreviews.co.uk/title/the-dispute-resolution-review/pakistan.

lxxxiv शालिश, छोटे-मोटे झगड़ों में न्याय करने की एक सामाजिक व्यवस्था है. देखें शालिश, बांग्लापीडिया, https://en.banglapedia.org/index.php/Shalish; एम्नेस्टी इन्टरनेशनल. (1993). **टेकिंग द लॉ इन देयर ओन हैन्ड्सः द विलेज शालिश.** एएसए 13/012/1993, https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/012/1993/en/; दीना एम. सिद्दीक़ी (2011). ट्रान्सलेशनल फ़ेमिनिज़म एंड ''लोकल'' रिएलिटीज़: द इम्पैरिल्ड मुस्लिम विमेन एंड द प्रोडक्शन ऑफ़ (अ)न्याय. **जर्नल ऑफ़ विमेन ऑफ़ द मिडिल ईस्ट एंड द इस्लामिक वर्ल्ड.** 9 (2011) 76–96. डीओआई: 10.1163/156920811X578548

lxxxv **मीडिएशन बोर्डस् कमीशन.** 16 फ़रवरी 2022 को देखा गया http://mediation.gov.lk/index.

lxxxvi राजा देवाशीष रॉय. (2005). **ट्रेडिश्नल कस्टमरी लॉ एंड इंडीजीनस पीपल्स इन एशिया.** माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप्स इन्टरनेशनल. उपलब्ध है https://minorityrights.org/publications/traditional-customary-laws-and-indigenous-peoples-in-asia-april-2005/

lxxxvii इन्टरनेशनल सेन्टर फ़ॉर रिसर्च ऑन विमेन, सेन्टर फ़ॉर डोमेस्टिक वॉयलेन्स प्रिवेन्शन, एंड बियॉन्ड बॉर्डर्स. (2016). **'हूज़ जस्टिस, हूज़ ऑल्टरनेटिव? - लोकेटिंग विमेन्स वॉइस एंड एजेन्सी इन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन रिस्पॉन्स टू इन्टिमेट पार्टनर वॉयलेन्स'.** https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/ICRW-Mediation-Paper-FINAL.PDF

lxxxviii आरईएसयूआरजे. (2020). **बियॉन्ड क्रिमिनालाइज़ेशनः ए फ़ेमिनिस्ट क्वेश्चनिंग ऑफ़ क्रिमिनल जस्टिस इन्टरवेन्शन टू एडरेस सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स वॉयलेशन्स.** उपलब्ध है: https://resurj.org/resource/desk-review-report-beyond-criminalization-a-feminist-questioning-of-criminal-justice-interventions-to-address-sexual-and-reproductive-rights-violations/22.

lxxxix आरईएसयूआरजे. (2020). **बियॉन्ड क्रिमिनालाइज़ेशनः ए फ़ेमिनिस्ट क्वेश्चनिंग ऑफ़ क्रिमिनल जस्टिस इन्टरवेन्शन टू एडरेस सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स वॉयलेशन्स.** पी. 32. उपलब्ध है: https://resurj.org/resource/desk-review-report-beyond-criminalization-a-feminist-questioning-of-criminal-justice-interventions-to-address-sexual-and-reproductive-rights-violations/22.

xc ट्लैंग मोफ़ेकेन्ग, विक्टर मेडरिगल-बार्लोज़, फ़रीदा शाहिद, डोरोथी इस्ट्राडा-टैंक, सुश्री इवाना रेडासिक, एलिज़ाबेथ ब्रोडरिक, मेस्केरम गेसेट्शॉन और मेलिसा उप्रेती. (मार्च, 2023). **ए कम्पोडियम ऑन कॉम्प्रिहेन्सिव सेक्शुएलिटी एजुकेशन.** महिलाओं व लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव पर कार्यकारी समूह. पी. 4. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/health/sr/Compendium-Comprehensive-Sexuality-Education-March-2023.pdf

[xci] यूनिसेफ़. (2017). **डाइवर्ज़न नॉट डिटेन्शनः ईस्ट एशिया और पेसिफ़िक में संघर्ष में बच्चों के लिए परिवर्तन और अन्य वैकल्पिक उपायों पर एक अध्ययन.** पी. x. https://www.unicef.org/eap/media/2401/file/Diversion%20not%20Detention.pdf

[xcii] काउन्सिल टू सिक्योर जस्टिस. (2020). **Restorative Practices: A Preliminary Reading**. पी. 2.

[xciii] आरईएसयूआरजे (2020). **Beyond Criminalization: A Feminist Questioning of Criminal Justice Interventions to Address Sexual and Reproductive Rights Violations.** पी. 11. https://resurj.org/wp-content/uploads/2020/12/ENGLISH-Beyond-Criminalization-A-Feminist-Questioning-of-Criminal-Justice-Interventions-to-Address-Sexual-and-Reproductive-Rights-Violations.pdf

[xciv] हावर्ड ज़ैर. (2020). **लिटिल बुक ऑफ़ रेस्टोरेटिव जस्टिस.** गुड बुक्स. पीपी. 28-29 उपलब्ध है https://charterforcompassion.org/images/menus/RestorativeJustice/Restorative-Justice-Book-Zehr.pdf

[xcv] हावर्ड ज़ैर. (2020). **लिटिल बुक ऑफ़ रेस्टोरेटिव जस्टिस.** गुड बुक्स. पीपी. 44. उपलब्ध है https://charterforcompassion.org/images/menus/RestorativeJustice/Restorative-Justice-Book-Zehr.pdf

[xcvi] हावर्ड ज़ैर. (2020). **लिटिल बुक ऑफ़ रेस्टोरेटिव जस्टिस.** गुड बुक्स. पीपी. 47. उपलब्ध ह https://charterforcompassion.org/images/menus/RestorativeJustice/Restorative-Justice-Book-Zehr.pdf; काउन्सिल टू सिक्योर जस्टिस एंड सेन्टर फ़ॉर क्रिमिनॉलिजी एंड विक्टिमोलिजी. (2018). **पर्सपेक्टिव ऑफ़ जस्टिसः रेस्टोरेटिव जस्टिस एंड सेक्शुअल एब्यूज़ इन इण्डिया.** नेशनल लॉ युनिवर्सिटी दिल्ली. पी. 47. उपलब्ध है https://csjindia.org/wp-content/uploads/2018/10/Perspectives-of-Justice-by-CSJ-and-NLU-Delhi-April-2018.pdf

[xcvii] देखें हावर्ड ज़ैर. (2020). **लिटिल बुक ऑफ़ रेस्टोरेटिव जस्टिस.** गुड बुक्स. पीपी. 47-50. उपलब्ध है https://charterforcompassion.org/images/menus/RestorativeJustice/Restorative-Justice-Book-Zehr.pdf

[xcviii] एस्टल जिंस्टैग, मार्लीस ट्यूनकेन्स व ब्रुनिल्डा पाली. (2011). **कॉन्फ्रेन्सिंगः ए वे फ़ार्वड फ़ॉर रेस्टोरेटिव जस्टिस इन यूरोप.** युरापियन फ़ोरम ऑफ़ रेस्टोरेटिव जस्टिस. पी. 165. उपलब्ध है https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-11/final_report_conferencing_revised_version_june_2012_0.pdf

[xcix] रेने आर. गेडैज़. (7 फ़रवरी, 2006). **फ़र्स्ट नेशन्स इन कनाडा.** द कैनेडियन इन्साइक्लोपीडिया. 17 फ़रवरी 2022 को देखा गया. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/first-nations

[c] इन्फ़ोल्ड प्रोएक्टिव हैल्थ ट्रस्ट. (मई, 2021). **हैन्डबुक फ़ॉर फ़ेसिलिटेशन ऑफ़ रेस्टोरेटिव प्रेक्टिसेस इन चाइल्ड केयर इन्स्टीट्यूशन्स.** पी. 10. http://enfoldindia.org/wp-content/uploads/2019/06/Restorative-Circle-Handbook-for-CCI.pdf

[ci] सीसीआईस् को भारतीय किशोर न्याय (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन), अधिनियम, 2015 के तहत ऐसी जगहों के रूप मेंपरिभाषित किया गया है जो 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को देखभाल और संरक्षण प्रदान करते हैं और इसमें शामिल है आश्रय गृह, ऑब्ज़रवेशन होम, स्पेशल होम, सुरक्षा की जगह आदि. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण), अधिनियम, 2015. (एन.डी.), भारतीय संविधान की धारा 2(21)

[cii] किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण), अधिनियम, 2015

[ciii] इन्फ़ोल्ड प्रोएक्टिव हैल्थ ट्रस्ट. (मई, 2021) **हैन्डबुक फ़ॉर फ़ेसिलिटेशन ऑफ़ रेस्टोरेटिव प्रेक्टिसेस इन चाइल्ड केयर इन्स्टीट्यूशन्स.** पी.13. http://enfoldindia.org/wp-content/uploads/2019/06/Restorative-Circle-Handbook-for-CCI.pdf

[civ] नेपाल फ़ोरम फ़ॉर रेस्टोरेटिव जस्टिस. 17 फ़रवरी 2022 को देखा गया, http://www.nepaljustice.org/

[cv] फ़िली स्टैण्ड अप्स फिलाडेल्फ़िया से जुड़े व्यक्तियों का एक छोटा समूह है जो यौनिक हमलों को समाप्त करने और जेल उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है. देखें https://www.phillystandsup.org/.

[cvi] 'फ़िली स्टैण्ड अप्सः वॉट इज़ ट्रान्सफ़ॉर्मेटिव जस्टिस', 17 फ़रवरी 2022 को दखा गया, https://www.phillystandsup.org/transjust.

[cvii] मिमी ई किम, अमान्डा रॉबिन्सन, और रॉबिन एल होल्डर. (2021). ट्रान्सफ़ॉर्मेटिव जस्टिस एंड रेस्टोरेटिव जस्टिसः जेण्डर-आधरित वॉयलेन्स एंड ऑल्टरनेटिव विज़न्स ऑफ़ जस्टिस इन द युनाइटेड स्टेट्स. **इन्टरनेशनल रिव्यु ऑफ़ विक्टिमोलोजी.** 27, नं. 2: 169.

[cviii] 'ऑल्टरनेटिव जस्टिस', एन.डी., https://www.alternativejustice.in/.

[cix] आरईएसयूआरजे. (2020). **बियॉन्ड क्रिमिनालाइज़ेशनः ए फ़ेमिनिस्ट क्वेश्चनिंग ऑफ़ क्रिमिनल जस्टिस इन्टरवेन्शन टू एडरेस सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स वॉयलेशन्स.** पी. 41. https://resurj.org/wp-content/uploads/2020/12/ENGLISH-Beyond-Criminalization-A-Feminist-Questioning-of-Criminal-Justice-Interventions-to-Address-Sexual-and-Reproductive-Rights-Violations.pdf

[cx] देखें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक काउन्सिल. (2002). **बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑन द यूज़ ऑफ़ रेस्टोरेटिव जस्टिस प्रोग्राम्स इन क्रिमिनल मैटर्स.** 2002 में अपने स्थाई सत्र में आर्थिक व सामाजिक काउन्सिल द्वारा लिए गए प्रस्ताव और निर्णय. ई/2002/आईएनएफ़/2/एडीडी.2. https://sites.unicef.org/tdad/basicprinciplesuseofrj.pdf

[cxi] उदाहरण के लिए, निवेदिता मेनन से परिचय में चर्चा को देखें. (2004). **रिकवरिंग सब्वर्ज़नः फ़ेमिनिस्ट पॉलिटिक्स बियॉन्ड द लॉ.** पर्मानेन्ट ब्लैक; फ़्लेविया ऐग्नेस, (1992). प्रोटेक्टिंग विमेन अगेन्स्ट वॉयलेन्स? क़ानून के एक दशक का दोहराव, 1980-89. **इकोनिमिक एंड पॉलिटिकल वीकली** (25 अप्रैल, 1992) डब्लूएस-19.

[cxii] इनमें ऐ कुछ सवाल 'इन्विज़िबिल नो मोर: ए स्टडी एंड डिस्कशन गाइड' से लिए गए हैं. उपलब्ध है

[cxiii] तालिका की संरचना एक ऐसे ही मिलते जुलते फ्रेमवर्क से प्रेरित है जो एरिक ए. स्टैन्ली और नैट स्मिथ (ईडीएस.) में है. (2015). **कैप्टिव जेण्डर्सः ट्रान्स इम्बॉडीमेन्ट एंड द प्रिज़न इन्डस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स.** पी.17. ए के प्रेस.

crea

क्रिया, वैश्विक दक्षिण के नारीवादियों के नेतृत्व वाली एक नारीवादी मानवाधिकार संस्था है। क्रिया एक ऐसी न्यायप्रिय, सच्ची और शांत दुनिया की कल्पना करती है जहाँ सभी लोग पूरे सम्मान और समानता के साथ अपना जीवन जी सकें।

क्रिया नारीवादी नेतृत्व का निर्माण करती है, महिला मानवाधिकारों को बढ़ावा देती है, जेंडर आधारित हिंसा को रोकने पर ध्यान केंद्रित करती है और सभी लोगों के लिए यौनिक और प्रजनन स्वतंत्रता को व्यापक करती है।

प्राइमर: https://creaworld.org/challenging-crim-knowledge-resources/

वेबसाइट: https://creaworld.org/

संपर्क करें: crea@creaworld.org